पंचायत निर्वाचन

अभ्यर्थियों के लिये मार्गदर्शिका

****

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर
वर्ष 2014

प्रस्तावना

स्वतंत्र एवं निश्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के दृश्टि से निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह महसूस हुआ कि यदि अभ्यर्थियों से सीधा संबंधित निर्वाचन विधि और नियमों के प्रावधानों का समावेश करते हुए एक छोटी हस्त–पुस्तिका प्रकाशित कर दी जाए तो उससे त्रिस्तरीय पंचायतों के अभ्यर्थियों को बहुत मदद मिलेगी। यही अवधारणा इस पुस्तिका के प्रकाशन का उद्दे य है।

2. पुस्तिका के प्रकाशन में इस बात का प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थियों को उनके मुख्य कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित सभी बुनियादी बातों की जानकारी मिल जाए। तथापि इस पुस्तिका को सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और इसे सुसंगत विधि और नियमों को भी साथ में देख लिया जाना चाहिए क्योंकि अंततः निर्वाचन के संचालन के वे ही प्रामाणिक स्त्रोत है।

3. **आशा है कि अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता के लिए यह उपयोगी साबित होगी।**

रायपुर;
वर्श 2014

पी0सी0 दलेई
राज्य निर्वाचन आयुक्त
छत्तीसगढ़

विषय–सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ
1.	सामान्य	1
2.	नामनिर्देशन पत्रों की प्रस्तुति	3
3.	नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	10
4.	अभ्यर्थिता की वापसी	15
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तैयार करना और प्रतीक आवंटन	17
6.	अभ्यर्थियों के अभिकर्ता	20
7.	निर्वाचन अपराध तथा आचरण संहिता	28
8.	निर्वाचन अभियान	31
9.	मतदान	34
10.	विशेष परिस्थितियों में मतदान का स्थगन तथा पुनर्मतदान	45
11.	मतगणना	48
12.	मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की **घोषणा**	58
13.	प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) की वापसी	61
14.	परिशिष्ट	63

परिशिष्ट

		पृष्ठ क्र.
एक	– अर्हता/निरर्हता के विषय में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उद्धरण	64–68
दो	– नाम निर्देशन पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाला स्वघोशणा/ ापथ पत्र का प्ररूप	69–94
तीन	– अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन का प्ररूप	95–96
चार	– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्ररूप	97–100
पांच	– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीकों की सूची	101–103
छः	– निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप	104
सात	– मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप	105
आठ	– गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप	106–107
नौ	– आदर्श आचरण संहिता	108–116
दस	– मतपत्र का नमूना	117
ग्यारह	– मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था	118
बारह	– मतपत्र लेखा का प्ररूप	119–121
तेरह–क	– गणना पर्ची का प्ररूप	122
तेरह–ख	– प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों की गड्डी में लगाई जाने वाली पर्ची का प्ररूप	123
चौदह	– प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) की वापसी के लिए अभ्यर्थी द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पत्र का प्ररूप	124–125
पन्द्रह	– प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) की वापसी के लिए अभ्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पत्र का प्ररूप	126–127
सोलह	– निर्वाचन प्रमाण पत्र का प्ररूप	128

अध्याय–1

सामान्य

आरक्षण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनाः

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतें ग्राम (अर्थात् एक या एक से अधिक गांवों का समूह), खण्ड (अर्थात् विकास खण्ड) तथा जिला स्तर पर गठित की गई है। खण्ड स्तरीय पंचायत, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के नाम से जानी जाती है। इन त्रिस्तरीय पंचायतों में से प्रत्येक पंचायत (अर्थात् ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत) को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, ''वार्ड'' कहलाते है। समाज के विभिन्न वर्गों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर की पंचायत के कुछ वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र, विधि द्वारा विहित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किए गए है। जो वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अन्य कोई नहीं। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो उस जाति, जनजाति या वर्ग का हो। सभी प्रकार के वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे वे आरक्षित हों या अनारक्षित, **कम से कम आधे** वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। अतः आपको सर्वप्रथम यह मालूम करना चाहिए कि आप जिस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, वह किस वर्ग के लिए आरक्षित है और आप उससे चुनाव लड़ सकते है या नहीं? जो वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र किसी जाति/जनजाति या वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है अर्थात् आरक्षण से मुक्त है, उससे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

आरक्षित सीटों के संबंध में, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा (निर्वाचन नियम 29–क के अंतर्गत) निर्वाचन की सूचना के साथ–साथ, अलग से एक सूचना भी प्रकाशित की जाती है। आप चाहें तो ऐसी सूचना की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, आवश्यक फीस का भुगतान करके, प्राप्त कर सकते है।

2. अर्हता / निरर्हता:

(1) किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी होने के लिए मूल अर्हताओं में से एक अर्हता यह है कि अभ्यर्थी का नाम, संबंधित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत हो तथा उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। किसी ग्राम पंचायत से पंच पद के अभ्यर्थी के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी वार्ड का मतदाता हो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। उसका नाम, मतदाता के रूप में उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत हो सकता है, परंतु उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है। जहाँ तक ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रश्न है, ऐसा अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसी भी गाँव का मतदाता हो सकता है। इसी प्रकार जनपद / जिला पंचायत के सदस्य के लिए अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक, संबंधित जनपद / जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली किसी भी ग्राम पंचायत का मतदाता हो सकता है।

(2) चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी किसी निरर्हता से मुक्त होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36 में उल्लिखित है। इस धारा का उद्धरण परिशिष्ट–एक में हैं। जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी निरर्हता से ग्रस्त है, वह किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी नहीं हो सकता।

*****

अध्याय–2

नामनिर्देशन पत्रों की प्रस्तुति

1. निर्वाचन नियम 28 के अंतर्गत निर्वाचन की सूचना जारी होते ही (अर्थात उसी दिन से) निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। निर्वाचन की सूचना में निम्नांकित बातों का सुस्पष्ट उल्लेख रहता हैः–

(1) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान

(2) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख, समय तथा स्थान,

(3) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समय,

(4) मतदान की तारीख तथा समय, और

(5) मतगणना की तारीख, समय और स्थान।

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए (सूचना जारी होने के दिन को मिलाकर) केवल आठ दिन मिलते है। अंतिम तारीख को 3.00 बजे बाद प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाते। अतः आपको चाहिए कि आप अपना नामनिर्देशन पत्र निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा रिटर्निंग आफिसर या ऐसे सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करें जिसे इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो। नामनिर्देशन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः या उसके प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। जहाँ तक संभव हो आपको अपना नाम

निर्देशन पत्र स्वयं ही प्रस्तुत करना चाहिए ताकि कोई अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हो जाने पर उसका ठीक से निपटारा हो जाए और आपकी अभ्यर्थिता खतरे में न पड़े। ''सार्वजनिक अवकाश'' के दिन नामनिर्देशन पत्र नहीं लिए जाते है।''सार्वजनिक अवकाश'' से आशय केवल ऐसे अवकाश से है जिस दिन राज्य शासन के कार्यालयों के साथ–साथ कोषालय एवं उप कोषालय भी बन्द हों। यदि कोई अवकाश केवल शासकीय कार्यालयों के लिए हो, परंतु शासकीय कोषालयों एवं उप–कोषालयों के लिए न हो तो वह ''सार्वजनिक अवकाश'' नहीं माना जाएगा और इस दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही किसी भी अन्य कार्यकारी दिवस के समान ही की जाएगी।

2. नामनिर्देशन पत्र परिशिष्ट–दो में उद्धृत सुसंगत प्ररूप (फार्म) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के पंच के लिए प्ररूप–4 क, सरपंच के लिए प्ररूप–4 ख, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए प्ररूप–4 ग तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्ररूप–4 घ निर्धारित है। प्ररूप की मुद्रित प्रतियां रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्ररूप सरकारी प्रेस से छपा हुआ ही हो। यदि शासन द्वारा मुद्रित प्ररूप उपलब्ध न हो तो निजी तौर पर मुद्रित, टंकित या हाथ से लिखे हुए या साइक्लोस्टाइल किये हुए प्ररूप का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्ररूप में वे **सभी प्रविष्टियां होनी** चाहिए जो नियमानुसार निर्धारित प्ररूप में है।

3. यदि आप ग्राम पंचायत के किसी वार्ड से पंच पद के अभ्यर्थी हैं तो आपका प्रस्तावक केवल ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि संबंधित वार्ड में मतदाता के रूप में दर्ज हो। यदि आप किसी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अभ्यर्थी हैं अथवा किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आपका प्रस्तावक संबंधित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम का मतदाता हो।

यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति, जो मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।

4. नामनिर्देशन पत्र कार्यकारी दिनों में 10.30 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह के बीच प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत आखरी तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक जो भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में उपस्थित हो चुका हो, उससे नामनिर्देशन पत्र ग्रहण किया जाएगा।

5. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नहीं है। अतः यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट स्तर की पंचायत (अर्थात ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत) के एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो संवीक्षा के समय केवल उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र/पत्रों पर विचार किया जाएगा जो समय के मान से सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हो तथा अन्य वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। अतः आपको चाहिए कि आप किसी विशिष्ट स्तर की पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने में अपना समय और श्रम व्यर्थ न गवाएं। अलबत्ता, आप एक से अधिक स्तर की पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकते है। उदाहरणार्थ आप किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के साथ–साथ जनपद पंचायत/जिला पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी अधिक से अधिक दो नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 2 से अधिक नाम

निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएं तो प्रथम दो नाम निर्देशन पत्रों को छोड़कर शेष पर विचार नहीं किया जाएगा। अतएव दो से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का प्रयास करना निर्रथक है और उससे कोई लाभ नहीं है।

7. (1) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पहले, यह आवश्यक है कि आपके द्वारा निम्नानुसार धनराशि प्रतिभूति निक्षेप (जमानत) के रूप में रिटर्निंग आफिसर के पास जमा की जाए–

(क) किसी वार्ड से पंच के मामले में चालीस रूपए और जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां बीस रूपये।

(ख) किसी ग्राम पंचायत के किसी सरपंच के मामले में दो सौ रूपए और जहां अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां सौ रूपए।

(ग) किसी जनपद पंचायत के सदस्य के मामले में पांच सौ रूपए और जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहाँ दो सौ पचास रूपए, और

(घ) किसी जिला पंचायत के सदस्य के मामले में एक हजार रूपये और जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां पांच सौ रूपए।

(2) किसी एक पंचायत में अभ्यर्थिता के लिए एक ही बार निक्षेप की राशि जमा कराना पर्याप्त है, भले ही दो नाम निर्देशन पत्र क्यों न दाखिल किए गए हों। परंतु विभिन्न स्तर की पंचायतों के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए (जैसे कि सरपंच के साथ–साथ जनपद या जिला पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने पर) पृथकशः निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा की जानी होगी।

(3) प्रतिभूति राशि या तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास या नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप–कोषालय में निम्नांकित शीर्ष में चालान से जमा की जा सकती हैः–

''8443–सिविल जमा राशियां–800–अन्य जमा– पंचायत चुनाव हेतु प्रतिभूति निपेक्ष की राशि''।

प्रतिभूति राशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप रसीद या चालान की प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि मूल रसीद या चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय दिखाई जानी होगी।

(4) प्रत्येक महिला अभ्यर्थी से तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी से प्रतिभूति की राशि रियायती दर पर ली जाएगी, भले ही वह किसी अनारक्षित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव क्यों न लड़ रही/रहा हो।

8. (i) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व आपको निम्नांकित बातें सावधानी से देख लेनी चाहिए ताकि नाम निर्देशन प्रतिक्षेपित (खारिज) होने की नौबत न आएः–

(क) मतदाता सूची में आपका और प्रस्तावक का नाम, वार्ड क्रमांक तथा मतदाता क्रमांक।

(ख) आप या आपका प्रस्तावक किसी निरर्हता से तो ग्रस्त नहीं है?

(ii) सामान्यतया आपको नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि वह मतदाता सूची में दर्ज है। यदि आप पाएं कि मतदाता सूची में आपके नाम की वर्तनी (हिज्जे) त्रुटिपूर्ण है या नाम में अशुद्धि है तो आप नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम शुद्ध रूप में लिख सकते है। रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार की मामूली भिन्नता को नजर अंदाज करेगा।

(iii) आपको अपने नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही आयु का उल्लेख करना चाहिए। यदि मतदाता सूची में आपकी आयु, सही आयु से भिन्न लिखी हो, तो भी आपको अपनी वर्तमान आयु ही बतानी चाहिए। यदि आपकी आयु अभ्यर्थिता के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु अर्थात 21 वर्ष के आस–पास हो और ऐसी संभावना हो कि आपकी आयु के बारे में किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है तो आपको अपनी आयु के संबंध में अपने पास पर्याप्त प्रमाण भी रखना चाहिए।

(iv) यदि आप किसी आरक्षित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हों तो आपको नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/जनजाति या अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना लिख देना या इन शब्दों के सामने सही का निशान (√) लगा देना पर्याप्त नहीं है।

9. नाम निर्देशन पत्र में उपरिलेखन (ओव्हर राईटिंग) या काटकूट नहीं की जानी चाहिए। यदि प्ररूप (फार्म) भरने में त्रुटि या काटकूट हो जाए तो उसे प्रस्तुत न किया जाए और

दूसरा प्ररूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। यदि काटकूट मामूली किस्म की हो तो उसके ऊपर आपको अपने लघु हस्ताक्षर करने चाहिए।

10. नाम निर्देशन पत्र में आपके द्वारा जिस प्रकार अपना नाम लिखा जाएगा ठीक उसी प्रकार वह मतपत्रों में लिखा जायेगा। अतः आपको चाहिए कि नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखें जैसा आप उसे मतपत्र में लिखाना चाहते है।

11. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, उसे प्राप्त करने वाले रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित प्ररूप में एक रसीद (पावती) दी जाएगी जिसमें नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख की सूचना भी अंकित रहेगी। इस रसीद को आप संभालकर रखें क्योंकि यदि बाद में आपने अभ्यर्थिता वापस लेने का निर्णय लिया तो इस रसीद को अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के साथ संलग्न करना या दिखाना जरूरी है।

12. नाम निर्देशन पत्र के साथ छ.ग.पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31–क की अपेक्षानुसार सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पद के अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाना आवश्यक है, परन्तु किसी ग्राम पंचायत के ''पंच'' पद के अभ्यर्थी के लिये आवश्यक नहीं है। स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र सरपंच के निर्वाचन के मामले में प्ररूप–4–ख–एक में, जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में प्ररूप–4–ग–एक में तथा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में प्ररूप–4–घ–एक में होगा। शपथ पत्र विहित प्ररूप में किसी पब्लिक नोटरी या किसी शपथ आयुक्त या किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर निष्पादित किया गया होना चाहिए।

******

अध्याय–3

नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)

1. (1) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा संबंधित रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के मुख्यालय पर की जाएगी अर्थात् जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए संवीक्षा कलेक्टर द्वारा जिला मुख्यालय पर तथा जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए संवीक्षा, संबंधित खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर द्वारा, खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। संवीक्षा रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) स्वयं करेगा और नाम निर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत (स्वीकृत) या प्रतिपेक्षित (अस्वीकृत) करने के संबंध में अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा। पंच पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर को यह अनुमति दी गई है कि वह पंचों के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसरों को सौंप सकता है परन्तु यदि किसी नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाना हो तो इसका विनिश्चय उसे (अर्थात खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर को) स्वयं ही करना होगा।

(2) संवीक्षा कार्य नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिये नियत अंतिम तारीख के ठीक आगामी कार्यकारी दिवस को किया जाएगा। संवीक्षा के दौरान केवल निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं:–

(क) आप स्वयं,

(ख) आपका निर्वाचन अभिकर्ता, यदि कोई हो,

(ग) आपका एक प्रस्तावक और

(घ) आपके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति।

यह दृष्टव्य है कि यदि आपने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं और उनमें प्रस्तावक अलग–अलग हैं, तब भी आप संवीक्षा के समय केवल एक ही प्रस्तावक को अपने साथ ले जा सकते हैं।

(3) संवीक्षा के दौरान आपको सभी अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों का परीक्षण करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

2. संवीक्षा में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या ऐसी त्रुटि जो सारभूत प्रकार की नहीं है, को नजर–अंदाज किया जाएगा।

3. आपको किसी भी नामनिर्देशन पत्र के बारे में तुच्छ या तकनीकी किस्म के आक्षेप नहीं उठाने चाहिए।

4. नाम निर्देशन पत्र को निम्नांकित में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत करना विधि सम्मत हैः–

(i) नामनिर्देशन पत्र विहित प्ररूप में सारतः नहीं है या उसमें समुचित स्थान पर अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है।

(ii) अभ्यर्थी संबंधित पंचायत के किसी भी ग्राम की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है या उसने नाम निर्देशन पत्र में अपनी आयु का उल्लेख नहीं किया है।

(iv) अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36 के अन्तर्गत निरर्हता ग्रस्त है।

(v) पंच के मामले में प्रस्तावक संबंधित वार्ड का तथा अन्य मामलों में संबंधित पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम का मतदाता नहीं है या वह

प्रस्तावक होने का पात्र नहीं है अर्थात् किसी निरर्हता के अधीन है।

(vi) अभ्यर्थी ने पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 33 के प्रावधानित प्रतिभूति निक्षेप (जमानत) राशि जमा नहीं की है।

(vii) नामनिर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है।

(viii) अभ्यर्थी (पंच को छोड़कर) द्वारा यथास्थिति स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र परिदत्त नहीं किया गया है।

(ix) नामनिर्देशन पत्र निर्धारित स्थान और विनिर्दिष्ट समय के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(x) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के मामले में अभ्यर्थी ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला, जैसी भी स्थिति हो, नहीं है।

5. यदि किसी नामनिर्देशन पत्र के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत हो तो उसका विनिश्चय करने के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा (और पंच के मामले में विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा) संक्षिप्त जांच की जाएगी। यदि आपत्ति को प्रथम–दृष्ट्या अमान्य नहीं किया जा रहा हो तो संबंधित अभ्यर्थी को उसका खण्डन करने का अवसर दिया जाएगा और समय मांगने पर अगले दिन तक का समय दिया जाएगा। रिटर्निंग आफिस से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के संबंध में स्वतः भी यह समाधान करे कि वह विधिमान्य है या नहीं।

6. किसी आपत्ति (आपेक्ष) को सिद्ध करने का भार आपत्तिकर्ता पर है।

7. संवीक्षा के दौरान उठाए जानेवाली आपत्तियों (आक्षेपों) का खण्डन करने के लिए आपके पास निम्नांकित दस्तावेज होना वांछनीय है:–

(1) मतदाता सूची के सुसंगत भाग की एक प्रति अथवा मतदाता सूची में आपके तथा आपके प्रस्तावक के नाम से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति।

(2) प्रतिभूति निक्षेप (जमानत) राशि जमा करने की रसीद या चालान की प्रति।

(3) आयु के संबंध में आवश्यक प्रमाण।

(4) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद।

(5) यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हो तो संबंधित जाति/वर्ग का सदस्य होने का संतोषजनक प्रमाण।

(6) स्वघोषणा पत्र अथवा शपथ पत्र की प्रति।

8. आपत्तियों के संबंध में जांच और सुनवाई के पश्चात् किसी नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपना विनिश्चय अभिलिखित (लेखबद्ध) किया जायेगा। यदि निर्णय नामनिर्देशन पत्र को खारिज करने का हो तो उसके लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाएगा। यदि आपका नामनिर्देशन पत्र किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है तो आपको रिटर्निंग आफिसर के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

9. किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्रों में से यदि एक भी स्वीकृत हो जाता है तो वह अभ्यर्थी सम्यक्रूपेण नाम निर्दिष्ट समझा जावेगा।

10. समस्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा कर लिए जाने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय हो जाने के तुरंत बाद रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामनिर्देशन पत्र स्वीकार कर लिए गए है, **विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की** एक सूची तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा।

*****

अध्याय–4

अभ्यर्थिता की वापसी

यदि आप किसी कारण से चुनाव न लड़ना चाहें और अपना नाम वापस लेना चाहें तो आपको परिशिष्ट–तीन में विहित प्ररूप में रिटर्निंग आफिसर को एक आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है (उस तारीख का उल्लेख जारी की गई निर्वाचन की सूचना में रहता है)। आवेदन–पत्र, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा समाप्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं या इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाने पर, आपके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आवेदन पत्र आपके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब कि उसके साथ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय दी गई रसीद भी संलग्न हो। बगैर उसके आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

3. अभ्यर्थिता की वापसी के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्र को तभी स्वीकार किया जाएगा जबकि उसकी प्रमाणिकता तथा उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाए। यदि आवेदन–पत्र आपके द्वारा स्वयं प्रस्तुत न किया जा रहा हो तो रिटर्निंग आफिसर मामले में अपने समाधान के लिए आवश्यक जांच करेगा।

4. (i) निर्वाचन विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर उसकी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) की वापसी कराना एक भ्रष्ट आचरण है।

(ii) प्रतिरूपण या छल द्वारा किसी व्यक्ति की अभ्यर्थिता की वापसी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (च) तथा 416 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

5. जिन अपराधियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हों उनकी सूची रिटर्निंग आफिसर द्वारा आम लोगों की जानकारी के लिए विहित प्ररूप में अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाएगी।

*****

अध्याय–5

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

1. अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल बाद रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में वैध पाये गये हैं और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है) की एक सूची तैयार की जाएगी। यह सूची परिशिष्ट–चार में दर्शाए गए प्ररूपों में से उपयुक्त प्ररूप में तैयार की जाएगी।

2. सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और पता ठीक उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा उसने नाम निर्देशन पत्र में लिखा हो। सूची हिन्दी में (देवनागरी लिपि) के वर्णक्रमानुसार तैयार की जाएगी।

3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक (चुनाव चिन्ह) आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अलग–अलग निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित इन प्रतीकों की सूची परिशिष्ट–पांच पर दी गई है। विभिन्न वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वर्णक्रमानुसार सूची तैयार हो जाने पर, उन्हें निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, सूची में उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाएगा। उदाहरणार्थ पंच पद के लिए सूची में क्रमांक 1 पर के अभ्यर्थी को पंच पद के लिए निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से क्रमांक एक वाला प्रतीक (सीढ़ी) आवंटित किया जाएगा तथा क्रमांक 2 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची में क्रमांक दो वाला प्रतीक (फावड़ा) आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों को उनके

नामों के क्रमांक के अनुसार निर्धारित प्रतीकों की सूची में से क्रमवार प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पसन्द के अनुसार प्रतीक चुनने की सुविधा नहीं है और न ही रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी को अपने मन से कोई प्रतीक आवंटित किया जा सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जिस क्रम से अभ्यर्थियों के नाम अंकित होंगे उसी क्रम में उन्हें निर्वाचन प्रतीकों की सूची में अंकित प्रतीक बारी–बारी से आवंटित किये जाएंगे।

4. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होते ही रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक का एक नमूना तुरंत उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में भी प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक दर्शाया जाएगा। इस सूची को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी एक–एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को भी दी जाएगी।

5. रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को, निम्नांकित प्ररूप में एक 'पहचान पत्र' जारी किया जाएगाः–

अभ्यर्थी–पहचान पत्र

पंचायत निर्वाचन

श्री / कुमारी / श्रीमती.....पिता / पति. .....
.....*ग्राम पंचायत.....से सरपंच / के वार्ड क्रमांक..... से पंच..... / जनपद पंचायत / जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य के पद के / की अभ्यर्थी हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	स्थान.....	हस्ताक्षर
	तारीख.....	रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
		(मोहर)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

आपको चाहिए कि आप यह 'पहचान पत्र' अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि निर्वाचन के दौरान विभिन्न अवसरों पर आपको अपनी पहचान स्थापित कराने में यह काफी सहायक होगा। पहचान पत्र तथा अभिलेख के लिए अद्यतन दो फोटो पासपोर्ट साइज रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जावे।

अध्याय–6

अभ्यर्थियों के अभिकर्ता

1. निर्वाचन अभिकर्ताः

(i) यदि आप चाहें तो किसी व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है परन्तु यह जरूरी नहीं है कि निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की ही जाए। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय की जा सकती है।

(ii) निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो पंचायत के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिए निरर्हित न हो।

(iii) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति परिशिष्ट–छः में उद्धृत प्ररूप में की जाएगी। नियुक्ति पत्र रिटर्निंग आफिसर को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति पर, अनुमोदन प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करके लौटा देगा।

(iv) आप अपने निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को एक हस्ताक्षरित लिखित घोषणा प्रस्तुत करके प्रतिसंहृत (रद्द) कर सकते है। ऐसे प्रतिसंहरण या निर्वाचन अभिकर्ता की अकस्मात् मृत्यु की स्थिति में आप दूसरे निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते है।

(v) निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव संबंधित सभी कार्यों को आपके प्रतिनिधि की हैसियत से कर सकता है। उसके सारे कृत और अकृत कार्यों के लिए आपको ही जिम्मेदार माना जाएगा। वस्तुतः निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किये गए किसी भ्रष्ट आचरण के लिए भी अभ्यर्थी ही दोषी माना जाता है और इस आधार पर उसका निर्वाचन रद्द भी हो सकता है। अतः निर्वाचन अभिकर्ता के चयन में आपको पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

(6) निर्वाचन अभिकर्ता के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैः–

(क) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहना।

(ख) आपके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए जाने पर रिटर्निंग आफिसर को आपकी ओर से अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।

(ग) मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति करना।

(घ) मतदान के दिन आपके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र/केन्द्रों में पहुंचकर आपके हितों की देखभाल करना।

(ड.) मतगणना एवं सारणीकरण के समय उपस्थित रहकर आपके हितों की देखभाल करना।

2. मतदान अभिकर्ताः–

(i) आप जिस वार्ड अथवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे है यदि उसमें एक से अधिक मतदान केंद्र हों तो मतदान के दिन आपके या आपके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में लगातार

उपस्थित रहना कठिन होगा। अतः प्रत्येक मतदान केन्द्र में आपके हितों का ध्यान रखने के लिए आपको प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है। तथापि आपके लिए यह बाध्यकर नहीं है कि आप मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करें ही। मतदान केंद्र के अंदर सीमित स्थान होने के कारण किसी अभ्यर्थी की ओर से एक बार में केवल एक ही प्रतिनिधि को बैठाना संभव होगा। अतः यदि, बीच में, आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता केन्द्र के अन्दर जाए तो वहां बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की अपेक्षा न करें।

अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्थाः–(1) पंचायत निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक रहने के कारण मतदान केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को बैठाने में कठिनाई होती है और कई बार तो इस कारण अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे मतदान में बाधा पड़ती है। अतः आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 से अधिक हो तो अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को 2,3 या 4 समूहों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक समूह को मतदान के दौरान मतदान केंद्र के अंदर बारी–बारी से 2–2 घंटे के लिए बैठने की अनुमति दी जाएगी।

प्रथम समूह के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने के समय से 2 घंटे के लिए, अर्थात् 7.00 से 9.00

बजे तक मतदान केंद्र के अंदर बैठने की सुविधा दी जाएगी। तत्पश्चात् दूसरे समूह और उसके बाद तीसरे और फिर चौथे समूह के अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को बारी–बारी से दो–दो घंटे के लिए मतदान केंद्र के अंदर बैठने दिया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने अभिकर्ता की जगह स्वयं बैठना चाहे तो, उसके अभिकर्ता को बाहर जाना होगा।

लेकिन प्रारंभ में जब कि मतपेटी मतदान के लिए तैयार की जा रही हो और मतदान समाप्त होने के पश्चात् जब कि मतपेटी सीलबंद की जा रही हो, समस्त अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित रह सकते हैं और उनमें से जो भी चाहें, मतपेटी पर अपनी सील लगा सकते है।

इसी प्रकार मतगणना के समय भी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका अभिकर्ता मतदान केंद्र पर चल रही मतों की गणना देख सकता है और बन्द किये जाने वाले लिफाफों आदि में अपनी सील लगा सकता है।

(ii) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति आपके द्वारा या आपके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में परिशिष्ट–सात में की जाएगी। नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में भरा जाएगा, और दोनो प्रतियाँ मतदान अभिकर्ता को दी जाएगी। मतदान अभिकर्ता मतदान के लिए नियत तारीख को मतदान केंद्र पर एक प्रति पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। इस प्रति को पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा।

(iii) आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को लिखित रूप में की गई घोषणा के द्वारा, प्रतिसंहत (रद्द) कर सकते है। रद्द की गई ऐसी घोषणा–

(क) उस दशा में जहाँ नियुक्ति मतदान की तारीख से सात दिन पूर्व प्रतिसंहृत (रद्द) की जाती है, रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जाएगी, तथा

(ख) अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(iv) मतदान अभिकर्ता को मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुँच जाना चाहिए, इससे वह उस समय उपस्थित रह सकेगा जब पीठासीन अधिकारी मतदान कराने के लिए मतपेटी तैयार करता है। यदि मतदान प्रारंभ करने के पूर्व की कोई कार्यवाही पूरी की जा चुकी हो तो विलंब से आने वाले किसी अभिकर्ता की संतुष्टि के लिए उसे नए सिरे से नहीं किया जाएगा।

(v) आपके मतदान अभिकर्ता का प्रमुख दायित्व मतदान केंद्र पर आपके हितों की देखभाल करना है। इसके अंतर्गत निम्नांकित कर्तव्य विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैः–

(क) फर्जी मतदान रोकने के लिए प्रतिरूपण अर्थात् छद्म नामधारी मतदाताओं के प्रति सचेष्ट रहना तथा यदि ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने आए तो उसकी पहचान को चुनौती देना।

(ख) मतदान के पूर्व तथा बाद में मतपेटी/मतपेटियों को समुचित रूप से सील बंद करवाने में सहायता करना।

(ग) यह देखना कि मतदान से संबंधित कागजात विधि की अपेक्षानुसार ठीक प्रकार से सुरक्षित या सीलबंद कर दिये गये हैं।

(vi) मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जानी चाहिएः–

(क) अपना नियुक्ति पत्र,
(ख) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची,
(ग) मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची में सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों की सूची जो अब जीवित नहीं हैं या ग्राम छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं, यदि ऐसी पुष्ट जानकारी उपलब्ध हो तो,
(घ) पीतल धातु (ब्रास) की सील तथा

(ङ) बाल पाइन्ट पेन।

(vii) मतदान केन्द्रों के भीतर या उसके 100 मीटर क्षेत्र के अंदर मतदान अभिकर्ता के लिए कोई ऐसा बिल्ला (बैज) लगाना निषिद्ध है जिसमें अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक नेता का कोई फोटो/चित्र हो या मत संयाचना करने की दृष्टि से कुछ लिखा हुआ हो। ऐसा करना एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए 250/– रूपए तक का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

3. गणन अभिकर्ता:

(i) मतगणना के दौरान आपके हितों की देखभाल के लिए गणन अभिकर्ता नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। मतगणना, सामान्यतया मतदान केन्द्र पर ही, मतदान समाप्ति के तत्काल बाद की जाएगी। यदि किसी कारण (जैसे हिंसा, बलवे की आशंका आदि) से मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर खण्ड मुख्यालय पर कराए जाने का निर्णय लिया गया तो इसके संबंध में आपको सूचित किया जाएगा। ऐसा निर्णय मतदान केन्द्र पर व्याप्त तनाव आदि के कारण, ऐन वक्त पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिए जाने की स्थिति में, वहाँ उपस्थित आपके मतदान/मतगणना अभिकर्ता को सूचित किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मतगणना सामान्यतया, अगले दिन खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी।

(ii) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए आप एक गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है। यदि आप चाहें तो मतदान अभिकर्ता को ही गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकते है। मतदान केन्द्र के बजाय खण्ड मुख्यालय पर मतगणना किए जाने की स्थिति में भी आपको एक गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है।

(iii) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति आप या आपके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा परिशिष्ट–आठ में उद्धृत प्ररूप में की जाएगी। नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाए। उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को मतदान की तारीख से कम

से कम पांच दिन पूर्व भेज दी जाए तथा दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को दे दी जाए जो उसे मतगणना के लिए नियत तारीख को गणना–भवन में प्रवेश पाने के लिए रिटर्निंग आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा।

(iv) आप लिखित घोषणा द्वारा अपने गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कभी भी प्रतिसंहृत(रद्द) कर सकते है तथा उसके स्थान पर दूसरा गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है। यदि मतगणना समाप्त होने के पहले ही गणन अभिकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता रिटर्निंग आफिसर को लिखित रिपोर्ट देकर तत्काल नए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं।

4. मतदान अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिकाएं:

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं को उनके विविध कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से, मार्गदर्शी पुस्तिकाएं तैयार की हैं। ये पुस्तिकाएं रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय से प्राप्त की सकती हैं।

*****

अध्याय–7

निर्वाचन अपराध तथा आचरण संहिता

1. निर्वाचन अपराधः

निर्वाचन की शुद्धता और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले अनेक कृत्य अपराध माने गये है। ऐसे अपराधिक कृत्यों से आपको पूरी तरह बचना चाहिए अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता और निर्वाचन खतरे में पड़ जायेंगे। इनका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (आई.पी.सी.) के अंतर्गत निर्वाचन अपराधः

(i) रिश्वतः–किसी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से परितोष या ईनाम देना और लेना (धारा 171–ख)

(ii) निर्वाचन में अनुचित असर डालनाः–किसी मतदाता को धमकी देना या प्रलोभन देना और निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करना (धारा 171–ग)

(iii) निर्वाचन में प्रतिरूपणः–किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करना या मत देना या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् पुनः अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करना या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिए दुष्प्रेरित करना (उकसाना) (धारा 171–घ)।

(iv) निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथनः–निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक आचरण या व्यवहार के संबंध में

कोई ऐसा कथन करना या प्रकाशित करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास हो (धारा 171–छ)।

(v) निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदायः–किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने के लिए सार्वजनिक सभा के आयोजन या किसी विज्ञापन आदि पर व्यय करना (धारा 171–ज)।

(vi) धर्म, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान, आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने या सौहार्द्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना (धारा 153–क)।

(ख) छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत निर्वाचन अपराधः–

(i) मतदान केन्द्र के पास मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रचार, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में या विरूद्ध मत देने का आग्रह, किसी प्रकार के नोटिस या संकेत का प्रदर्शन करना (धारा 6)।

(ii) मतदान केन्द्र के पास अव्यवस्थित आचरण, चिल्लाना या मेगाफोन/लाउड स्पीकर का प्रयोग करना जिससे मतदान केन्द्र पर कार्यरत कर्मियों के कार्य में व्यवधान हों (धारा 7)।

(iii) मतदान केन्द्र पर दुराचरण तथा मतदान अधिकारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन न करना (धारा 8)।

(iv) निर्वाचन में अवैध रूप से वाहनों का भाड़े पर लेना या प्राप्त करना (धारा 9)।

(v) मतदान केन्द्र से मतपत्र बाहर ले जाना (धारा 10)।

(vi) केन्द्र पर प्रदर्शित किसी नोटिस या सूचना को फाड़ना या बिगाड़ना, मतपेटी में मतपत्र के अतिरिक्त कोई और चीज डालना, मतपेटी को क्षति पहुंचाना या उससे छेड़छाड़ करना (धारा 11)।

(vii) बूथ का बलात् ग्रहण करना अर्थात् मतदान केन्द्र पर बलात् कब्जा करना, मतपत्र छीनना या उन्हें समर्पित करने के लिए केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को बाध्य करना, केवल अपने समर्थकों से मतदान कराना तथा अन्य लोगों को मतदान में भाग लेने से रोकना, मतदाताओं को डराना धमकाना तथा मतदान केन्द्र में जाने से मना करना तथा सरकार की सेवा में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कृत्यों में सहायता या मौन अनुमति दिया जाना (धारा 14–घ)।

2. आचरण संहिताः

स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों तथा शासकीय कर्मियों और विभागों के लिए आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है जो परिशिष्ट–नौ में उद्धृत है। आपसे अपेक्षा है कि निर्वाचन के निर्विघ्न संचालन तथा नैतिकता और शुचिता का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आचरण संहिता का पालन करें। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है तो आयोग, संविधान द्वारा अपेक्षित अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए किसी भी स्टेज पर, निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने या अन्य विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए समुचित कदम उठा सकता है।

******

अध्याय–8

निर्वाचन अभियान

निर्वाचन की सूचना जारी होने की तारीख तथा मतदान की तारीख के बीच कम से कम 20 दिन का अंतराल होगा। इस अवधि के दौरान आप अपना चुनाव अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था को पुष्ट करने के लिए निर्वाचन अभियान का संचालन सौम्यता और शालीनता से, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के वातावरण में किया जाना चाहिए।

1. अभियान के संचालन के प्रारंभ में आपको अपने कार्यकर्ताओं को निर्वाचन कानून तथा नियमों के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि वे ऐसा कोई कार्य न करें जो निर्वाचन अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण की परिधि में आता हो या जिससे आचरण संहिता का उल्लघंन होता हो, अन्यथा आपका निर्वाचन संकट में पड़ जाएगा। यदि आपकी जानकारी में कानून तथा नियमों के उल्लंघन की अथवा भ्रष्ट आचरण की कोई घटना आए तो आप उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् कलेक्टर) को दें। शिकायतें सत्यापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कही–सुनी, तुच्छ और अपुष्ट बातों पर नहीं।

2. मतदाताओं को मतदान के दिन की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से आप पूर्वाभ्यास या प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर सकते है। इस हेतु आप अपने नाम तथा प्रतीक का उपयोग करते हुए तथा उसमें वह स्थान दर्शाते हुए जहां पर वास्तविक मतपत्र में आपका निर्वाचन प्रतीक होगा, डमी (नमूने के) मतपत्र भी छपवा सकते है। ऐसे डमी मतपत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के असली नाम तथा प्रतीक नहीं होने चाहिए

और न ही उनका रंग वास्तविक मतपत्रों का सा होना चाहिए। मतदाताओं को जानकारी देने के उद्देश्य से आप अपने निर्वाचन प्रतीक की प्रतियाँ मुद्रित करवा सकते है तथा उन्हें बटवा भी सकते हैं, परन्तु मतदाताओं को साथ में यह समझा दें कि ये प्रतीक मतदान केन्द्र पर न ले जाएं।

3. चुनाव अभियान के दौरान आपके कार्यकर्ताओं की जानकारी में यह बात आ सकती है कि क्या मतदाता सूची में ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित है जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जो अपने निवास के सामान्य स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला गया है या जिस नाम का कोई असली व्यक्ति है ही नहीं। आप अपने कार्यकर्ता से कहें कि वे ऐसे मृत, ग्राम छोड़ चुके या फर्जी मतदाताओं की सूची बनाएं। सूची की एक प्रति आप संबंधित मतदान केन्द्र पर नियुक्त किए जाने वाले अपने मतदान अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं ताकि वह मतदान के दिन ऐसी किसी मतदाता के नाम से मत देने के लिए आने वाले व्यक्ति के ऊपर नज़र रख सकें। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि सूची में किसी वास्तविक मतदाता का नाम सम्मिलित न हो।

4. यदि मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट (काउन्टरमैन्ड) नहीं किया जाएगा, सिवाय उस दशा में जबकि ऐसी मृत्यु के फलस्वरूप निर्वाचन में केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाए। मतदान प्रत्यादिष्ट किए जाने पर निर्वाचन की समस्त कार्यवाही नये सिरे से उसी प्रकार प्रारंभ की जाएगी जैसे कि वह नये निर्वाचन के लिए की जाती है, परन्तु–

(क) ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, आगे–पुनः नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा; तथा

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपना अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, नये निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा।

5. छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था है कि मतदान की तारीख के एक दिन पूर्व (की अवधि के दौरान) कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के पालन का ध्यान रखें।

6. मतदान के दिन आपको राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केवल एक या दो वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी।

ऐसे किसी वाहन का परिचालन रिटर्निंग आफिसर से परमिट प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। आपको चाहिए कि आप मतदान के कम से कम दो दिन पूर्व परमिट प्राप्त कर लें। परमिट को, जिस पर मोटे अक्षरों में, ''निर्वाचन परमिट'' मुद्रित होगा तथा जिस पर रिटर्निंग आफिसर की मोहर और हस्ताक्षर रहेंगे, वाहन के सामने **विंड स्क्रीन पर** प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

*****

अध्याय–9

मतदान

रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान की तारीख से 20 दिन पूर्व मतदान केन्द्रों की एक सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें प्रत्येक मतदान केन्द्र से सम्बद्ध क्षेत्र (अर्थात् ग्राम पंचायत/गांवों के नाम तथा वार्डों के क्रमांक जिनके लिए वह केन्द्र बनाया गया है) दर्शाया जाएगा। सामान्यतया लगभग 500 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा और एक वार्ड के सभी मतदाता एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध रहेंगे।

यदि अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के बाद, किसी मतदान केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए तो उसके लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे परिवर्तित केन्द्रों के बारे में आपको लिखित में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

(2) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान में निम्नलिखित कार्य करना निषिद्ध हैः–

(क) किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने हेतु मनाना या निर्वाचन में मत न देने के लिए मनाना।

(ख) निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना या संकेत (शासकीय सूचना से भिन्न) प्रदर्शित करना।

(ग) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छृंखल या प्रतिषिद्ध

कार्य करना। यदि कोई लाउड स्पीकार या मेगाफोन 100 मीटर से अधिक की दूरी पर भी उपयोग में लाया जा रहा हो परंतु उसकी आवाज से मतदान केन्द्र में कर्तव्यस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप होता है तो भी निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा।

(3) अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाताओं को ''पहचान पर्चियां'' वितरित करने के लिए व्यवस्था कर सकते है। पहचान पर्ची में न तो अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा या किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। उसमें केवल **मतदान केन्द्र क्रमांक व मतदान केन्द्र का नाम,** मतदाता का नाम, उसकी आयु, पिता/पति का नाम तथा मतदाता सूची (या उसके भाग अनुक्रमांक) में उसके क्रमांक का उल्लेख रहना चाहिए।

(4) पंचायतों के आम चुनाव में प्रत्येक मतदाता सामान्यतया 4 पदों (अर्थात् ग्राम पंचायत के वार्ड से पंच, ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य) के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

इन विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों के रंग निम्नानुसार अलग–अलग रहेंगेः–

(क) ग्राम पंचायत के वार्ड से पंच पद के निर्वाचन के लिए –सफेद

(ख) ग्राम पंचायत के सरपंच पद के निर्वाचन के लिए –नीला

(ग) जनपद पंचायत के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए –पीला

(घ) जिला पंचायत के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए –गुलाबी

प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फॉइल) पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिए जाएंगे। मतपत्र के पीछे, मतदान केन्द्र की पहचान के लिए रबर की सुभेदक मोहर लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे। सरपंच के निर्वाचन के लिए विहित मतपत्र का नमूना परिशिष्ट–दस पर दिया गया है।

मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर, प्रारंभिक कार्यवाहियों के पश्चात् मतदाता की पहले पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए दो मतपत्र दिए जाएंगे। उन पर मतांकन करने तथा उन्हें मतपेटी में डालने के बाद उसे पुनः जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए दो मतपत्र दिये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के **वर्तमान निर्देशों के** अनुसार सभी मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे।

(5) मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अधिकारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था सामान्यतया परिशिष्ट–ग्यारह के अनुसार रहेगी।

(6) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर तथा भीतर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जाएंगीः–

(क) विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जिसके मतदाता, मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो।

(7) निर्धारित समय पर मतदान प्रारंभ करने के लिए मतपेटी तैयार करने का कार्य 20 मिनिट पूर्व प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो

अभ्यर्थी या जिनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अन्दर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात् जिस 'टाइप' की मतपेटी मतदान केन्द्र को दी गई है उस 'टाइप' के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार की जाएगी। गोदरेज टाइप मतपेटी में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक सादी पेपर सील लगाई जाएगी। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को अपने हस्ताक्षर करने का अवसर दिया जाएगा और स्वयं पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर करेगा। मतपेटी को सील करने के पूर्व, उसके अन्दर ''पते की पर्ची'' (यह दर्शाने के लिए कि वह किस मतदान केन्द्र की है) भी डाली जाएगी।

(8) मतदान का समय सामान्यतया प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक का रहेगा। मतदान केन्द्र पर एकत्र मतदाताओं को पंक्तिबद्ध खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी और पंक्ति में से बारी–बारी से, महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में केन्द्र के भीतर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी महिलाओं को जिनकी गोद में बच्चे हो, प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(9) पहली मतपेटी के भरते ही दूसरी मतपेटी उपयोग के लिए तैयार कर दी जाएगी। पहली मतपेटी के भर जाने पर, उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंद करके सील कर दिया जाएगा। मतदान बंद होते समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी उसे, उसी हालत में सील बंद किया जाएगा।

मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील बन्द करते समय यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक/मतदान अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

(10) पीठासीन अधिकारी मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनिट पहले मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से बाहर आकर यह घोषणा करेगा कि मतदान के लिए केवल 5 मिनिट का समय शेष है, अतः मतदान केन्द्र के परिसर में (अर्थात् आसपास) जो भी लोग मतदान करने के इच्छुक हों वे एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। ठीक 3.00 बजे, वह पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को, पंक्ति के अंतिम छोर से आरंभ करते हुए, अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियां बाँट देगा और उसके बाद किसी व्यक्ति को पंक्ति में शामिल नहीं होने देगा। अर्थात् 3.00 बजे के बाद केवल ऐसे मतदाताओं को ही मतदान करने की अनुज्ञा होगी जिनके पास उक्त पर्चियाँ हों। मतदान तभी समाप्त घोषित किया जाएगा जबकि इस प्रकार प्राधिकृत अंतिम मतदाता ने मतदान कर दिया हो।

(11) मतदान अभिकर्ता को किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की क्रम संख्या नोट नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। पीठासीन अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा विवरण नोट करने से रोके तथा ऐसे कागजात को, जिसमें **किसी मतदान अभिकर्ता ने ऐसा विवरण नोट किया हो,** जप्त कर लें। यदि चेतावनी के बावजूद कोई मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट करेगा तो उसे कदाचार के लिए मतदान केन्द्र से बाहर कर दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता को केवल इस बात की अनुमति है कि वह मतदाता सूची की अपनी प्रति में उन मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान (√) लगा ले जिन्हें मतपत्र जारी किये जाएं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह मतपत्रों को क्रम संख्या के अनुसार जारी न करे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की क्रम संख्या का अन्दाज न लगा सके।

(12) अंधेपन या शारीरिक अपंगता के कारण यदि कोई मतदाता मतपत्र पर बने चुनाव प्रतीकों को पहचानने में या सहायता

के बिना प्रतीक पर चिन्ह लगाने में या मतपत्र को मतपेटी में डालने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे एक व्यक्ति (साथी), जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, अपने साथ मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार (अपने साथी से) मतपत्र पर चिन्ह लगवा सके तथा उसे मतपेटी में डलवा सके। परंतु किसी भी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता के साथी के रूप में सहायता करने वाले व्यक्ति को अनुमति देने के पूर्व उससे एक घोषणा भराई जाएगी कि उसने उस दिन अन्य किसी मतदाता के साथी के तौर पर कार्य नहीं किया है तथा वह मतदाता की ओर से किए गए मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा।

(13)(i) यदि कोई मतदाता ऐसी असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके संबंध में पीठासीन अधिकारी अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दे सकता है। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर ''खराब रद्द किया गया'' शब्द अंकित करके उसे अलग रखा जाएगा।

(ii) मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसे लौटाना चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे भी ले लेगा। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर ''लौटाया गया–रद्द किया गया'' शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखा जाएगा।

(iii) मतदाता को जारी कोई मतपत्र यदि उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाए और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाए तो उसे ''लौटाया गया–रद्द किया गया'' समझा जाएगा और उसके संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(14) किसी मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति (अभ्याक्षेप) करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

(i) मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से संबंधित मतदाता सूची की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा की जाएगी। इस दौरान यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उसकी पहचान के संबंध में आपत्ति न की जाए तो, मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा उसके बायें हाथ की तर्जनी में नाखून की जड़ पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाए तो पीठासीन अधिकारी उस मामले में आगे कार्यवाही हेतु उसे अपने पास ले लेगा और मतदान अधिकारी क्रमांक–1 अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखेगा।

(ii) किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति(अभ्याक्षेप) पर तभी विचार किया जाएगा जबकि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद पांच रूपये की धनराशि जमा करे। ऐसी जमा राशि के लिए रसीद दी जाएगी।

(iii) राशि जमा कर दिए जाने पर आपत्ति (अभ्याक्षेप) के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः–

(क) जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसे, प्रतिरूपण (पररूप धारण) करने के लिए (अर्थात् जो वह नहीं है वह बताने के लिए) यह चेतावनी दी जाएगी कि ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 171–(घ) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ख) उसे मतदाता सूची की संगत प्रविष्टि पूरी तरह पढ़कर सुनाई जाएगी और यह पूछा जायेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह ''हाँ'' कहे तो उसका नाम और पता अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप–12 में) दर्ज किया जाएगा तथा उसे उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहा जाएगा।

(ग) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आपत्ति (अभ्याक्षेप) के संबंध में निम्नानुसार संक्षिप्त जाँच की जाएगीः–

(i) आपत्तिकर्ता से जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसे वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(ii) जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उससे वही व्यक्ति होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने समाधान के लिए उससे आवश्यक प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि वह उस वार्ड में कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन हैं और क्या करते हैं, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन–कौन हैं इत्यादि।

(iii) पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी व्यक्ति से भी पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा सकती है।

(iv) उपर्युक्त पूछताछ पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ पर बयान लेकर की जा सकती है।

(v) जाँच करने के बाद यदि पीठासीन अधिकारी उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सही होना पाए तो संबंधित व्यक्ति को मतपत्र नहीं दिया जाएगा और आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दी जाएगी और साथ ही प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

(vi) जाँच करने के बाद यदि उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सही होना न पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी तथा आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जप्त कर ली जाएगी।

(15) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछेगा जिससे उसे संतुष्टि हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। अतः ऐसे व्यक्ति को मतपत्र जारी किया जाएगा परन्तु उसका मतपत्र, मतांकन के बाद, मतपेटी में नहीं डलवाया जायेगा। ऐसा मतपत्र, जिसे ''निविदत्त मतपत्र'' (टेन्डर्ड बैलट पेपर) कहते है। पीठासीन अधिकारी अपनी सुपुर्दगी में ले लेगा तथा उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफे में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे को सील बंद कर दिया जाएगा।

(16) मतदान बंद होने के बाद, तब उपयोग में लाई जा रही मतपेटी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सबसे पहले बंद की जायेगी। वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो उस पर अपनी सील लगा सकते है।

(17) मतपेटी को सील बन्द करने के बाद पीठासीन अधिकारी परिशिष्ट–बारह में दर्शाए गए प्ररूप में मतपत्र लेखा **भाग–1** तथा मतदान संबंधी अन्य आवश्यक कागजात तैयार करेगा। इसके साथ ही वह इन कागजातों को निर्धारित लिफाफों/पैकेटों में रखेगा और सील बंद करेगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो, उन लिफाफे और पैकेटों पर अपनी मुहर लगा सकेंगे जिनमें निम्नलिखित दस्तावेज रखे हों:–

(1) उपयोग में न लाये गये मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण,

(2) निविदत्त मतपत्र और तैयार की गई निविदत्त मतों की सूची,

(3) लौटाये गये तथा रद्द किए गए मतपत्र

(4) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति,

(5) हस्ताक्षर किए गए परंतु प्रयोग में न लाये गए मतपत्र, उनके प्रतिपर्ण सहित, यदि कोई हो,

(6) अभ्याक्षेपित मतों की सूची,

(7) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, और

(8) अन्य कोई ऐसे कागज–पत्र जिनके बारे में रिटर्निंग आफिसर ने निर्देश दिया हो कि वे एक सीलबन्द पैकेट में रखे जाएं।

यह आप के हित में है कि आप अपने मतदान अभिकर्ता को यह सलाह दें कि वह उक्त पैकेटों पर अपनी सील लगाए ताकि उनके साथ हेर–फेर किये जाने की आशंका की कोई गुंजाईश न रहे।

(18) मतदान समाप्त होने के बाद सामान्यतया मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जाएगी। इसके अपवाद केवल वे मतदान केन्द्र होंगे जहां हिंसा या गड़बड़ी की आशंका के कारण, ऐसा न करने का निर्णय लिया गया हो। ऐसे केन्द्रों की मतगणना अगले दिन पूर्व से अधिसूचित समय पर, खण्ड मुख्यालय में की जाएगी। ऐसे केन्द्रों की सील बन्द मतपेटियां संबंधित मतदान दलों द्वारा खण्ड मुख्यालय पर लाई जाएंगी और वहाँ एक दृढ़ कक्ष में (सुरक्षित अभिरक्षा में) रखी जाएंगी। सब मतपेटियां जमा हो जाने पर कक्ष के दरवाजे पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो उस ताले पर अपनी भी सील लगा सकते हैं। यह कक्ष मतगणना के लिए नियत तारीख को ही खोला जाएगा। यदि इस बीच इस कक्ष को किसी कारणवश खोलना पड़े तो ऐसा करने के लिए आपको सूचित किया जाएगा। जिस प्रयोजन के लिए कक्ष खोला गया हो उसके पूरा हो जाने के तुरन्त पश्चात् उसे पुनः सीलंबद कर दिया जाएगा। एक ''लाग–बुक'' भी रखी जाएगी जिसमें कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, प्रवेश करने का समय और प्रयोजन तथा कक्ष के बाहर आने का समय अंकित किया जाएगा। कक्ष में जब तक मतपेटियां रहेंगी उसके सशस्त्र पहरे की समुचित व्यवस्था की जाएगी। यदि आप चाहें तो आप भी उस कक्ष के बाहर अपना एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पास कोई हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

******

अध्याय–10

विशेष परिस्थितियों में मतदान का स्थगन तथा पुनर्मतदान

1. यद्यपि मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है जिनमें मतदान की कार्यवाही जारी रखना संभव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिंसा, बलवा आदि के कारण या आग लगने, तेज आंधी या बारिश हो जाने आदि आपदाओं के कारण मतदान की प्रक्रिया रूक सकती है। (मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता)। यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए जिससे मतदान आगे जारी रखना संभव न हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान रोक देगा और इस आशय की औपचारिक घोषणा मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के समक्ष करेगा। मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा कर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करेगा।

2. मतदान स्थगित किए जाने पर मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मतपत्र डाले जा रहे थे), ठीक उसी प्रकार सील कर दिया जाएगा जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की गई अन्य मतपेटी के साथ (यदि कोई हो तो) सुरक्षित रख दिया जाएगा। वस्तुतः इसके बाद मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकेटों को सीलबन्द करने तथा मतपेटियों, पैकेटों आदि को रिटर्निंग आफिसर को सौंपने की कार्यवाहियाँ यथा–साध्य ठीक उसी प्रकार की जाएँगी जिस प्रकार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती हैं।

3. स्थगित किया गया मतदान केवल राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ही पुनः प्रारंभ किया जावेगा। आयोग द्वारा निर्धारित पुनर्मतदान की तारीख की सूचना **रिटर्निंग आफिसर द्वारा** सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। पुनर्मतदान के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति (जो कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास रहती है) के मूल सीलबंद पैकेट के साथ एक नई मतपेटी तथा अन्य सामग्री पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान पुनः प्रारंभ करने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का सील बन्द पैकेट खोला जाएगा तथा मतदान के लिए मतपेटी तैयार करने के बाद आगे मतदान कराया जाएगा। उन मतदाताओं को जिन्होंने मतदान के स्थगन के समय तक अपने मत दे दिये हों, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कराये गये पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरांत की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ ठीक उसी प्रकार से की जाएंगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाले मतदान के लिए की जाती हैं।

4. मतदान केन्द्र पर जबरन कब्जा किये जाने, मतपेटी विनष्ट किए जाने आदि मामलों में कार्यवाहीः— मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा, उपद्रव के कारण या केन्द्र का बलात ग्रहण (बूथ कैपचरिंग) किए जाने की स्थिति में, यदि उपयोग में लाई गई मतपेटी/पेटियों को नष्ट करने, फेंक देने या उनकी सील तोड़ देने या उन्हें पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण से छीनकर बाहर ले जाने का कृत्य किया जाए या केन्द्र के मतपत्रों पर घूमते हुए तीरों वाली मतांकन की मोहर लगाकर उन्हें जबरन मतपेटी में डाल दिया जाए या मतदाता सूची में चिन्हांकित प्रति फाड़ दी जाए तो स्पष्ट है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान दूषित हो जाएगा और मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करना संभव नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगित कर दिया जाएगा और

स्थगन के संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। यह घोषणा दो प्रतियों में तैयार की जाएगी, जिसमें से एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित करेगा।

इस उप कंडिका में वर्णित परिस्थितियों के कारण स्थगित किये गए मतदान के संबंध में रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् कलेक्टर) के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा। आयोग समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि आवश्यक हो तो–

(क) उस मतदान केन्द्र में मतदान को रद्द घोषित करेगा, और

(ख) नए सिरे से मतदान के लिए औपचारिक रूप से तारीख और समय निर्धारित करेगा।

आयोग से सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर आपको नये मतदान के लिए निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा और इस संबंध में उस मतदान क्षेत्र में मुनादी कराके या किसी अन्य प्रकार से आम लोगों को भी जानकारी देगा।

******

अध्याय–11

मतगणना

1. मतगणना की तारीख, समय और स्थानः

मतगणना के लिए नियत तारीख, स्थान और समय का उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 के अंतर्गत जारी की गई निर्वाचन की सूचना में किया जाता है। सामान्यतया मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात् मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जाएगी। ऐसे कुछ मतदान केन्द्र ही इसका अपवाद होंगे जिनमें हिंसा या गड़बड़ी के कारण मतगणना, खण्ड मुख्यालय में अगले दिन कराए जाने का निर्णय लिया गया हो। यदि मतदान केन्द्र पर प्रस्तावित मतगणना को हिंसा या गड़बड़ी की किसी अप्रत्याशित आशंका के कारण स्थगित करना पड़ा तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर उपस्थित आपके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को इस संबंध में सूचित किया जाएगा तथा मतगणना की परिवर्तित तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी।

मतदान केन्द्र पर मतगणना का कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी के रूप में किया जाएगा और इस कार्य में मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 उसकी मदद करेंगे। आपसे यह अपेक्षा है कि मतगणना के दौरान केन्द्र के अंदर एवं बाहर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में पीठासीन अधिकारी (अर्थात् गणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी) को पूरा सहयोग दें।

2. मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए उपलब्ध मेजों को मिलाकर एक बड़ी मेज बना ली जाएगी। उसके एक ओर प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) बैठेगा और उसके दाई तथा बाई ओर गणना सहायक (मतदान अधिकारी) बैठेंगे। प्राधिकृत

अधिकारी के ठीक सामने, कुछ फासले पर, अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे मतपत्रों की छंटाई, संवीक्षा और गणना का कार्य देख सकें।

यदि मतगणना के लिए मतगणना केन्द्र में मेजें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो बैठने की व्यवस्था फर्श पर दरी/चादर बिछाकर की जाएगी।

3. मतगणना के पूर्व मतपेटियों का निरीक्षणः

मतगणना के लिए मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को एक के बाद एक खोला जाएगा। मतपेटियां खोलने के पहले उन्हें, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को देखने का अवसर दिया जाएगा ताकि वे इस बात का समाधान कर लें कि किसी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतपेटी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने पर गणना हेतु प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) या खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के मामले में रिटर्निंग आफिसर द्वारा, उसका गहन निरीक्षण किया जाएगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मतपेटी को पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि उससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है, तो (संबंधित मतदान केन्द्र की) मतगणना रोक दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी या यथास्थिति, रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस संबंध में तत्काल एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके उसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा, जो रिपोर्ट को अपनी टिप्पणी/अनुशंसा सहित राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आगे की कार्यवाही आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी।

4. मतपेटियों को खाली किया जानाः

मतपेटियों के निरीक्षण एवं सीलों के ठीक–ठीक हालत में होने के बारे में **आश्वस्त होने के** उपरांत मतपेटी खोलकर सभी मतपत्र निकाले जाएंगे। उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं

को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जाएगा कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिए गए हैं और उसके अन्दर और कोई मतपत्र नहीं बचा है। प्रत्येक मतपेटी में से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए डाले गये अलग–अलग रंगों के मतपत्र निकालेंगे। प्रथमतः रंगों के आधार पर मतपत्रों की छटनी करके उनकी अलग–अलग गड्डियां बनाई जाएंगी। प्रारंभ में मतपत्रों को उल्टा करके रखा जाएगा अर्थात् मतपत्रों के उस भाग को जिसमें अभ्यर्थियों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित हों, नीचे की ओर रखा जाएगा। तत्पश्चात् मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दूसरी मतपेटी (यदि ऐसी कोई मतपेटी हो) को भी उपरोक्तानुसार ही खोलकर उसके मतपत्र निकाल कर रखे जाएंगे और उन्हें समान रंग वाले मतपत्रों की गड्डियों में शामिल किया जाएगा।

(2) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् पंचों के मतपत्रों की वार्डवार अलग–अलग गड्डियां बनाई जाएंगी। मतपत्रों की वार्डवार छटनी मतपत्र के पीछे अंकित सुभेदक मोहर में वार्ड का क्रमांक देखकर की जाएगी।

5. मतपत्रों की संख्या का विवरण अंकित करनाः

प्रत्येक ''वार्ड'' से पंच के निर्वाचन में पड़े कुल मतपत्रों की संख्या उस वार्ड से संबंधित गड्डी में शामिल मतपत्रों की गिनती कर के ज्ञात की जाएगी। मतपत्रों की इस संख्या का इन्द्राज निम्नांकित प्ररूपों में किया जाएगाः–

(1) प्ररूप 15 मतपत्र लेखा–भाग 2 तथा

(2) प्ररूप 16 गणना परिणाम पत्रक की कंडिका (ग)

विभिन्न वार्डों के पंचों के स्थानों (सीटों) के संबंध में यह कार्य पूर्ण हो जाने पर ठीक उसी प्रकार सरपंच के स्थान (सीट) के लिए

मतपेटी/पेटियों में पाये गये मतपत्रों की संख्या ज्ञात की जाएगी एवं इस संख्या की प्रविष्टि क्रमशः प्ररूप 15 मतपत्र लेखा भाग–2 तथा मतगणना परिणाम पत्रक प्ररूप–17 भाग–एक में यथा स्थान की जाएगी। इसी प्रकार क्रमशः जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए डाले गये मतपत्रों की संख्या ज्ञात की जाएगी एवं संबंधित संख्या की प्रविष्टियां मतपत्र लेखा भाग–2 तथा मतगणना परिणाम पत्रक प्ररूप–18, भाग–एक एवं प्ररूप–19 भाग–एक में, जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

6. मतपत्रों की संवीक्षा (जांच):

(1) कंडिका 5 में वर्णित कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात् सर्वप्रथम प्रत्येक वार्ड से पंच के स्थान (सीट) के लिए मतपत्रों की अभ्यर्थीवार छटनी और संवीक्षा (जांच) की जाएगी। अभ्यर्थीवार मतपत्रों की संवीक्षा करते समय ऐसे मतपत्रों को अलग रख लिया जाएगा जो ''संदेहास्पद'' हों। संदेहास्पद मतपत्रों की संवीक्षा, प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) या खण्ड स्तर पर की जाने वाली मतगणना के मामले में विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं एक–एक कर के, की जाएगी। ऐसी संवीक्षा में जो मतपत्र किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मान्य किया जाएगा उसे उस अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतपत्रों की गड्डी में शामिल किया जाएगा तथा जिन मतपत्रों को अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाएगा उन्हें एक अलग गड्डी में रखा जाएगा।

(2) प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए ऐसे प्रत्येक मतपत्र को जिसे कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता देखना चाहे, उसे दिखाया जाएगा परंतु मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिक्षेपित प्रत्येक मतपत्र के पीछे उसे खारिज करने के कारण सूक्ष्म उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी या यथास्थिति विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा, अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) किसी मतपत्र को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जाएगा, यदिः–

(क) उस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) वह विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति क्रमांकों से भिन्न क्रमांक का या परिकल्प (डिजाइन) से भिन्न परिकल्प का है, या

(ड.) उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, या

(च) उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमने वाले तीरों के चिन्ह) नहीं है, या

(छ) उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया है, या

(ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है, या

(झ) मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना है।

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है, ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुए इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जाएगा।

(4) मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जाएगा किः–

(क) किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गए हैं, या

(ख) एक अभ्यर्थी के खाने से स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिन्ह लगा है, या

(ग) वह चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है। (मूल चिन्ह और उसकी छाप में अंतर करना आसान है। मूल चिन्ह में तीरों की दिशा घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप से तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात् घड़ी की सुइयों के घूमने के दिशा में हो जाएगी और इस आधार पर छाप तथा मूल चिन्ह में सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है।)

(ङ) चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या

(च) मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक सील और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि यह चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है, या

(छ) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है।

7. मतों की गणनाः

उपरोक्तानुसार संवीक्षा के उपरांत, वार्ड से पंच के स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी और तत्पश्चात् प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों को गिना जाएगा।

गणना का परिणाम पत्रक प्ररूप–16 में तैयार किया जाएगा।

8. मतगणना का क्रम :

सबसे पहले पंचों के निर्वाचन से संबंधित मतगणना का कार्य, वार्डवार, हाथ में लिया जाएगा। तत्पश्चात् क्रमशः सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के स्थान (सीट) के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी और गणना का परिणाम पत्रक यथास्थिति प्ररूप–17 भाग–एक, प्ररूप–18 भाग–एक एवं प्ररूप–19 भाग–एक में तैयार किया जाएगा।

9. अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान) :

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान) सर्वसंबंधित की जानकारी के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आख्यापन से अभिप्राय निर्वाचन की घोषणा से नहीं है। **इसका** अभिप्राय केवल विभिन्न अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या का ऐलान किए जाने से है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा बाद में पृथकशः की जाएगी।

10. पुनर्गणना :

विधिमान्य मतों की संख्या का आख्यापन किये जाने पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता चाहे तो मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग कर सकता है किन्तु उसके लिए उसे उन आधारों का वर्णन करते हुए जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, लिखित में आवेदन करना होगा। उसे ऐसा करने के लिए आख्यापन के पश्चात् कुछ समय दिया जावेगा। पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मतगणना हेतु प्राधिकृत अधिकारी उसमें उल्लेखित आधारों के बारे में विचार करेगा। **आवेदन** को पूर्णतः या अंशतः मंजूर किया जा सकता है अथवा उस दशा में जबकि आवेदन तुच्छ या अयुक्तियुक्त कारणों पर आधारित हो उसे अमान्य किया जा सकता है किन्तु ऐसा हर विनिश्चय कारणों सहित लिखित में होगा।

यदि पुनर्गणना हेतु प्राप्त आवेदन पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने का विनिश्चय किया जाता है तो

(क) विनिश्चय अनुसार मतपत्रों की पुनगर्णना की जाएगी,

(ख) मतगणना पत्रक को पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा और

(ग) किए गए ऐसे संशोधन के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या का पुनः आख्यापन (ऐलान) किया जाएगा। तत्पश्चात् गणना–परिणाम पत्रक को पूरा भरकर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा।

11. अभ्यर्थियों को गणना पर्ची का प्रदाय :

मतगणना पूर्ण हो जाने और यथास्थिति, मतगणना पत्रक प्ररूप–16 अथवा प्ररूप–17, 18 एवं 19 के भाग–एक में प्रविष्टियां प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी या उसकी ओर

से उपस्थित निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक ''गणना पर्ची'' निःशुल्क प्रदत्त की जाएगी, जिसमें उसे प्राप्त विधिमान्य मतों का उल्लेख रहेगा। गणना पर्ची का प्ररूप परिशिष्ट–13 क में दिया गया है।

12. मतगणना कार्य की निरंतरता :

मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य परिस्थितियों के, गणना कार्य बीच में नहीं रोका जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण (जैसे कि तूफान, तेज बारिश, आग, हिंसा आदि) से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक या अधिक पैकेटों में रखकर सीलबंद कर दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक पैकेट पर मतगणना हेतु प्राधिकृत अधिकारी के साथ–साथ यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/गणन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

13. गणना के पश्चात् मतपत्रों को सील किया जानाः

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गए और गिने जा चुके विधिमान्य मतपत्रों की अभ्यर्थीवार 50–50 की गड्डियां बनाई जाएंगी और उन्हें रबर बैन्ड से बांध दिया जाएगा। अंतिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है और यदि किसी अभ्यर्थी को 50 से कम मत प्राप्त हों तो उसकी एकमात्र गड्डी भी 50 से कम मतपत्रों की होगी। किसी एक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की सभी गड्डियां एक के उपर एक रखते हुए उन्हें रबर बैन्ड से बांधा जाएगा और उनके उपर ''गणना पर्ची'' लगाई जाएगी। प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए मतों की एक अलग गड्डी बनाई जाएगी तथा उसमें भी एक पर्ची लगाई जाएगी, जिसका प्ररूप परिशिष्ट–13–ख में उद्धृत है। किसी एक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतपत्रों की गड्डियों तथा उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिक्षेपित मतों की गड्डी को एक

साथ रबर बैन्ड से बांधकर उनका एक बंडल बनाया जाएगा। इस बंडल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कागज की शीट में लपेटकर सीलबंद कर दिया जाएगा। ऐसे सीलबंद पैकेट पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/गणन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

******

अध्याय–12

मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा

1. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत दिनांक एवं स्थान पर खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर के मुख्यालय में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न मतदान केन्द्रों में मिले मतों का सारणीकरण (टेबुलेशन) किया जाएगा। सामान्यतया यह कार्य मतदान की तारीख के अगले दिन किया जाएगा और इसके लिए नियत भवन/परिसर तथा समय की सूचना अभ्यर्थियों को पहले ही दे दी जाएगी। जिन मतदान केन्द्रों की मतगणना मौके पर न कराई गई हो उनकी मतगणना भी इसी भवन/परिसर में की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को उस कक्ष में बैठक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें उसके वार्ड/निर्वाचन के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों में पड़े मतों का सारणीकरण किया जा रहा हो।

2. सारणीकरण के पश्चात् पंच, सरपंच तथा सदस्य जनपद पंचायत के निर्वाचन की घोषणा, खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा की जाएगी, जबकि सदस्य जिला पंचायत के संबंध में सारणीकरण का शेष कार्य (यदि निर्वाचन क्षेत्र दो खण्डों में फैला हो) तथा निर्वाचन की घोषणा जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) अर्थात् कलेक्टर द्वारा, जिला मुख्यालय पर की जाएगी।

3. (1) चूंकि पंच के मामले में संबंधित वार्ड के सभी मतदाताओं के लिए एक ही मतदान केन्द्र रहता है, अतः सारणीकरण का प्रश्न नहीं उठता। मतगणना पत्रक प्ररूप–16 के आधार पर निर्वाचन विवरणी प्ररूप–20 में तैयार की जाएगी और उसके आधार पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा अधिकतम मत पाने वाले अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से पंच निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(2) सरपंच के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतगणना पत्रक प्ररूप–17 के भाग–एक के आधार पर अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का संकलन

प्ररूप–17 के भाग–दो में किया जाएगा। तत्पश्चात् प्ररूप–21 में निर्वाचन विवरणी तैयार की जावेगी एवं अधिकतम मत पाने वाले अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से सरपंच निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(3) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतगणना पत्रक प्ररूप–18 के भाग–एक के आधार पर अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का संकलन प्ररूप–18 के भाग–दो में किया जायेगा। इसके आधार पर निर्वाचन की विवरणी प्ररूप–22 तैयार की जावेगी एवं अधिकतम मत पाने वाले अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(4) जिला पंचायत सदस्य के मामले में संबंधित खण्ड में जो भी निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हो उसके अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के मतदान केन्द्रों से प्राप्त गणना पत्रक प्ररूप–19 के भाग–एक के आधार पर अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का संकलन प्ररूप–19 के भाग–दो में किया जाएगा। तत्पश्चात् खण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (पंचायत), प्ररूप–19 के भाग–दो को (विभिन्न्न मतदान केन्द्रों से संबंधित मतगणना पत्रकों के भाग–एक के साथ) जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को प्रेषित करेगा। जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) अर्थात् कलेक्टर, जिला पंचायत सदस्य के पूरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित गणना पत्रक (प्ररूप–19 भाग–दो) प्राप्त हो जाने पर, अभ्यर्थीवार प्राप्त कुल मतों का संकलन प्ररूप–19 के भाग–तीन में कराएगा और उसके आधार पर निर्वाचन विवरणी प्ररूप–23 में तैयार करके अधिकतम मत पाने वाले अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करायेगा।

4. किसी भी स्थान (सीट) के लिए यदि 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हों तो रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच लाट डालकर पर्ची निकालने की कार्यवाही की जाएगी और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

5. निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण–पत्र दिया जानाः

सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किए गए अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्ररूप–25 में निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रदत्त किया जाएगा।

******

अध्याय–13

प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) की वापसी

1. निर्वाचन नियम 33 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) निम्नांकित उपबंधों के अंतर्गत या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी अथवा राज्य सरकार के पक्ष में जप्त की जा सकेगीः–

(क) यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नहीं दर्शाया गया हो या उसकी मतदान आरंभ होने के पूर्व मृत्यु हो गई हो तो जमानत की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

(ख) यदि अभ्यर्थी निर्वाचित हुआ है या उसे प्राप्त हुए विधिमान्य मतों की संख्या अभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के एक छठे भाग से अधिक है तो उसकी जमानत की राशि निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है और उसे प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के एक छठे भाग से अधिक नहीं है तो उसकी जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।

2. राशि केवल उसी व्यक्ति को वापस की जाएगी जिसके नाम से वह जमा कराई गई है परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो राशि उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस की जाएगी।

राशि की वापसी के लिए आवेदन पत्र यथास्थिति, परिशिष्ट–चौदह (निक्षेपक द्वारा स्वयं दिया जाने वाला आवेदन

पत्र) अथवा परिशिष्ट–पन्द्रह (निक्षेप के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिए जाने वाला आवेदन पत्र) में उद्धृत प्ररूप में, दिया जाना चाहिए।

(3) निर्वाचन नियम 33 (5) के अंतर्गत यदि प्रतिभूति निक्षेप की वापसी के लिए दावा, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख के छः माह के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो तो निक्षेप राशि वापस नहीं की जाएगी और राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत हो जाएगी।

******

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 5 तथा 36 (1) का उद्धरण

ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण

5.(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा;

परन्तु–

(क) कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा,

(ख) कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है.

स्पष्टीकरणः– (1) अभिव्यक्ति ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ वही होगा जो उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का सं.43) की धारा 20 में दिया गया है, किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि उसमें किया गया ''निर्वाचन क्षेत्र'' के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''ग्राम'' के प्रति निर्देश है.

(2) कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित है.

पंचायत का पदधारी होने के लिए निरर्हताएं.

36.(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा;–

(क) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात्–

(एक) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या स्वापक पदार्थों (नारकोटिक्स) के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्समान किसी विधि के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोषसिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, व्यतीत न हो चुकी हो; या

(दो) किसी अन्य अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कम से कम छह मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसके छोड़े जाने से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, व्यतीत न हो चुकी हो; या

(ख) जो विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(ग) जो दिवालिया न्याय–निर्णीत किए जाने वाला आवेदक है या जो अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(घ) जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी की या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में है:

परन्तु किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण इस खण्ड के अधीन निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा; या

(ड.) जो राज्य सरकार की या केन्द्रीय सरकार की या किसी पंचायत की या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी की या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है; या

(च) जो पंचायत के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता है, जबकि वह ऐसा अंश या हित रखता है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (च) के अधीन केवल इस कारण से निरर्हित हुआ नहीं समझा जायेगा कि–

(एक) किसी संयुक्त स्टाक कंपनी (ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी) में उसका कोई अंश है या छ.ग. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगम में या किसी सहकारी सोसाइटी में, जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा, उसका कोई अंश या हित है; या

(दो) ऐसे किसी समाचार पत्र में, जिसमें पंचायत के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है; या

(तीन) वह पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई डिबेन्चर धारण करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी उधार से अन्यथा संबंधित है; या

(छ) जो पंचायत की ओर से वैतनिक विधि–व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया है; या

*[1](ज) जो इस प्रकार के कुष्ठ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है; या

(झ) जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति की कोई अभिस्वीकृती दे दी है; या

---

* छ.ग. राजपत्र असाधारण रायपुर शुक्रवार दिनांक 23 मई 2008 द्वारा विलोपित।

(ट) जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन राज्य विधानसभा के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ठ) जो राज्य विधान–मण्डल द्वारा बनायी गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

******

प्ररूप–4 क
(नियम 31 देखिये)

नाम निर्देशन पत्र
ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन

मैं, जिला.....के खण्ड.....की ग्राम पंचायत..... .....के वार्ड क्रमांक.....से पंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं:–

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

उसका पता.....

उसका नाम पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के **वार्ड क्रमांक .....(शब्दों में .....)** की मतदाता सूची में क्र..... (शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

2. मेरा नाम.....है, जो पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक..... (शब्दों में .....) की मतदाता सूची में क्रमांक..... (शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

तारीख.....

.....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि –

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के पंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

*(ग) मैं.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला.....के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम उपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए:–

.....

तारीख.....

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का **अनुक्रमांक.....**

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)
(नाम.....)

*** जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज)
करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं:– (**)

.....

.....

....

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम.....)
(सील)

**यदि नाम निर्देशन–पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक.....

(*)श्री/कु./श्रीमती..... जो ग्राम पंचायत.....के पंच के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी हैं, **का नाम** निर्देशन पत्र मुझे (तारीख)..... ..को.....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख.....को.....बजे (स्थान).....में की जायेगी।

तारीख..... .....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम.....)

*** जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

प्ररूप–4 ख

(नियम 31 देखिये)

नाम निर्देशन पत्र

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

मैं, जिला.....के खण्ड.....की ग्राम पंचायत..... .....से सरपंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ:–

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

उसका पता.....

उसका नाम जिला .....के खण्ड .....की पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .....(शब्दों में .....) की मतदाता सूची में क्रमांक .....(शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

2. मेरा नाम.....है, जो जिला .....के खण्ड ..... की ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .....(शब्दों में.....) की मतदाता सूची में क्रमांक.....(शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

तारीख..... .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ किः–

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ एवं निरर्हित नहीं हूँ।

*(ग) मैं.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला.....के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में **नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाएः–**

.....

तारीख..... .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

परिशिष्ट–दो(ख)

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का **अनुक्रमांक.....**

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....बजे *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर **(पंचायत)**

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे दीजिए।**

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर **(पंचायत)** का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं:– (**)

.....

.....

.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

सील.....

**यदि नाम निर्देशन–पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक.....

(*)श्री / कु. / श्रीमती..... जो ग्राम पंचायत.....के सरपंच के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी हैं, **का नाम** निर्देशन पत्र मुझे (तारीख).....को..... (बजे) *अभ्यर्थी / प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख.....को.....बजे (स्थान).....में की जायेगी।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

*** जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

प्ररूप–4–ख–एक

(नियम–31–क देखिए)

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला स्व–घोशणा पत्र

(नाम निर्दे ान पत्र के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

स्वघोशणा पत्र

1/ मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी..... आयु.....निवासी.....तहसील..... जिला.....छत्तीसगढ़

ग्राम पंचायत.....जनपद पंचायत..... जिला.....के सरपंच .....के प्रत्या ाी हूं।

2/ मैं सत्यनिश्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूं :

I कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नही हुई है : .....

II कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

1. प्रकरण क्रमांक .....थाना.....जिला.....राज्य.....
2. अधिनियम .....की धारा .....
3. सजा दिये जाने का दिनांक .....
4. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा सजा दी गई .....
5. सजा की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण .....
6. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ, उसका विवरण.....

III कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में डिस्चार्ज/दोशमुक्त हुआ हूं।

1. प्रकरण क्रमांक .....
2. अधिनियम.....की धारा .....
3. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा मुझे डिस्चार्ज/दोशमुक्त किया गया है .....

.

4. डिस्चार्ज/दोशमुक्त होने का दिनांक .....

.

5. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ इसका विवरण .....

IV यह कि मुझे आज से 06 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाय जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्शो की दी जा सकती है।) (इसमें पूर्व कंडिका I एवं II के प्रकरणों को न लिया जाय।)

————————————————————————————————

————————————————————————————————

V यह कि मेरी स्वयं की पति/पत्नि और आश्रितों की चल अचल सम्पत्ति तथा बैंक में जमा रा ि I एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) चल संपत्ति (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में अपना हिस्सा स्पश्ट रूप से द र्ाायी जाये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा घोशणाकर्ता का उनसे संबंध स्पश्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से आ ाय यह है कि जो मुख्यरूप से घोशणाकर्ता की आय पर आश्रित हैं।

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नगद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल. आई.सी.,कंपनियों के फण्ड एवं वित्तीय साधन में जमा धनरा ि I।			
3.	मोटर चलित (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कंपनी, मॉडल इत्यादि का विवरण दें)			

4.	गहनें (धातु वजन तथा कीमत का विवरण			
5.	अन्य आस्तियाँ जैसे– दावे की कीमत एवं ब्याज			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण :– स्वयं एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है :–

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा(अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन(व्यवसायिक और आवासीय पृथक पृथक द र्ाायी जाय) जिला..... तहसील ..... स्थान का नाम ..... कुल रकबा(अनुमानित)..... वर्तमान बाजार मूल्य.....			
4.	अन्य			

VI मेरी भाासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार है :–

अ. क्र.	विवरण	भाासकीय विभाग/बैंक/ वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	बकाया रा ि। दिनांक..... .....तक
क	(1)बैंक,वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2)भाासकीय विभाग/पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख	(1)चालू वर्श में आयकर रिटर्न		

	विवरण स्थाई लेखा नंबर भी लिखा जावें। (2)चालू वर्श के वेल्थ टैक्स–संपत्ति कर का विवरण। (3)वाणिज्य कर– (4)संपत्ति कर–		

VII मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :

(अपनी स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख करें)

स्कूल का नाम/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

वर्ष	प्रमाण पत्र/उपाधि	स्कूल/कॉलेज	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....

हस्ताक्षर

घोशणाकर्ता

सत्यापन

मैं .....आत्मज / आत्मजा / पत्नी.....

यह सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त घोशणा की कंडिका I से VII में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....

हस्ताक्षर

घोशणाकर्ता

प्ररूप–4 ग

(नियम 31 देखिये)

नाम निर्देशन–पत्र

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला.....की जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....(शब्दों में.....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ:–

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

उसका पता.....

उसका नाम जिला.....के खण्ड..... की ग्राम पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक .....(शब्दों में .....) की मतदाता सूची में क्रमांक.....(शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

2. मेरा नाम.....है, जो जिला.....के खण्ड.....की ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....(शब्दों में.....) की मतदाता सूची में क्रमांक..... (शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

तारीख..... .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि:–

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जनपद पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं;

*(ग) मैं.....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला.....के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है;

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाएः–

.....

तारीख..... .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

परिशिष्ट–दो(ग)

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक.....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को..... .....बजे *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख..... .....

रिटर्निंग आफिसर **(पंचायत)**

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं:– (**)

.....

.....

.....

तारीख..... .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

**यदि नाम निर्देशन–पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक.....

(*)श्री/कु./श्रीमती.....जो जनपद पंचायत..... .के सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी हैं, **का नाम निर्देशन** पत्र मुझे (तारीख) .....को.....(बजे) 'अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख.....को.....बजे (स्थान).....में की जायेगी।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

प्ररूप–4–ग–एक

(नियम–31–क देखिए)

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला भापथ–पत्र

(नाम निर्देशन पत्र के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

भापथ पत्र

1/ मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....
.....आयु.....निवासी.....तहसील.....
.....जिला.....छत्तीसगढ़

जनपद पंचायत.....जिला.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य पद का प्रत्याशी हूं।

2/ मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूं :

I कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नही हुई है : .....

II कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

1. प्रकरण क्रमांक .....थाना.....जिला.....राज्य.....
2. अधिनियम .....की धारा .....
3. सजा दिये जाने का दिनांक .....
4. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा सजा दी गई .....
5. सजा की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण .....
6. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ, उसका विवरण.....

III कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में डिस्चार्ज/दोशमुक्त हुआ हूं।

1. प्रकरण क्रमांक .....
2. अधिनियम.....की धारा .....
3. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा मुझे डिस्चार्ज/दोशमुक्त किया गया है .....

.

4. डिस्चार्ज/दोशमुक्त होने का दिनांक .....

.

5. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ इसका विवरण .....

IV यह कि मुझे आज से 06 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाय जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्शो की दी जा सकती है।) (इसमें पूर्व कंडिका I एवं II के प्रकरणों को न लिया जाय।)

————————————————————————————————

————————————————————————————————

V यह कि मेरी स्वयं की पति/पत्नि और आश्रितों की चल अचल सम्पत्ति तथा बैंक में जमा राशि एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) चल संपत्ति (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में अपना हिस्सा स्पश्ट रूप से द र्ायी जाये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पश्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से आ ाय यह है कि जो मुख्यरूप से अभिसाक्षी की आय पर आश्रित हैं।

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नगद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल. आई.सी.,कंपनियों के बाण्ड एवं वित्तीय साधन में जमा धनरा ि I।			
3.	मोटर चलित (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कंपनी, मॉडल इत्यादि का विवरण)			
4.	गहनें (धातु वजन तथा कीमत का विवरण दें)			

5.	अन्य आस्तियाँ जैसे– दावे की कीमत एवं ब्याज			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण :– स्वयं एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है :–

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति / पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा(अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन(व्यवसायिक और आवासीय पृथक पृथक दर्शायी जाय) जिला..... तहसील ..... स्थान का नाम ..... कुल रकबा(अनुमानित)..... वर्तमान बाजार मूल्य.....			
4.	अन्य			

VI मेरी भाासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार है :–

अ. क्र.	विवरण	भाासकीय विभाग / बैंक / वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	बकाया राशि दिनांक..... .....तक
क	(1)बैंक,वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2)भाासकीय विभाग / पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख	(1)चालू वर्श में आयकर रिटर्न विवरण स्थाई लेखा नंबर भी लिखा जावें। (2)चालू वर्श के वेल्थ टैक्स–संपत्ति कर का विवरण।		

	(3)वाणिज्य कर– (4)संपत्ति कर–		

VII मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :

(अपनी स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख करें)

स्कूल का नाम/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

वर्श	प्रमाण पत्र/उपाधि	स्कूल/कॉलेज	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....

हस्ताक्षर भापथकर्ता

सत्यापन

मैं .....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....

यह सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त घोशणा की कंडिका I से VII में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....

हस्ताक्षर भापथकर्ता

प्ररूप–4 घ

(नियम 31 देखिये)

नाम निर्देशन पत्र

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक..... (शब्दों में.....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूंः–

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

उसका डाक का पता.....

उसका नाम जिला.....के खण्ड..... की ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक.....(शब्दो में .....) की मतदाता सूची में क्रमांक.....(शब्दों में.....) पर प्रविष्ट है।

2. मेरा नाम.....है, जो जिला..... के खण्ड.....के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक ..... (शब्दों में .....) की मतदाता सूची में क्रमांक.....(शब्दों में..... .....) पर प्रविष्ट है।

तारीख..... .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं किः–

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जिला पंचायत.....के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

(ग) मैं.....अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला..... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाएः–

.....

तारीख.....

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/**अंगूठे का निशान**

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

परिशिष्ट–दो(घ)

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक.....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को..... .(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

स्थान .....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं:– (**)

.....

.....

.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

सील.....

**यदि नाम निर्देशन–पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र का **अनुक्रमांक.....**

(*)श्री/कु./श्रीमती..... जो जिला पंचायत..... के सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी हैं, **का** नाम निर्देशन पत्र मुझे (तारीख) .....को.....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख.....को.....बजे (स्थान).....में की जायेगी।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम.....)

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

प्ररूप–4–घ–एक

(नियम–31–क देखिए)

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ–पत्र

(नाम निर्देशन पत्र के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

भापथ–पत्र

1/ मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....
.....आयु.....निवासी.....तहसील.....
.....जिला.....छत्तीसगढ़

जिला पंचायत.....जिला.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य पद का प्रत्या ाी हूं।

2/ मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूं :

I कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नही हुई है : .....

II कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

1. प्रकरण क्रमांक .....थाना.....जिला.....राज्य.....
2. अधिनियम .....की धारा .....
3. सजा दिये जाने का दिनांक .....
4. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा सजा दी गई .....
5. सजा की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण .....
6. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ, उसका विवरण.....

III कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में डिस्चार्ज/दोशमुक्त हुआ हूं।

1. प्रकरण क्रमांक .....
2. अधिनियम.....की धारा .....
3. न्यायालय का नाम जिसके द्वारा मुझे डिस्चार्ज/दोशमुक्त किया गया है .....

.

4. डिस्चार्ज/दोषमुक्त होने का दिनांक .....

5. अपील/निगरानी का क्या परिणाम हुआ इसका विवरण .....

IV यह कि मुझे आज से 06 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाय जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्शो की दी जा सकती है।) (इसमें पूर्व कंडिका I एवं II के प्रकरणों को न लिया जाय।)

————————————————————————————————

————————————————————————————————

V यह कि मेरी स्वयं की पति/पत्नि और आश्रितों की चल अचल सम्पत्ति तथा बैंक में जमा राशि एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) चल संपत्ति (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में अपना हिस्सा स्पश्ट रूप से दर्शायी जाये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से आ ाय यह है कि जो मुख्यरूप से अभिसाक्षी की आय पर आश्रित हैं।

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नगद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल. आई.सी.,कंपनियों के फण्ड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि।			
3.	मोटर चलित (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कंपनी, मॉडल इत्यादि का विवरण दें)			
4.	गहनें (धातु वजन तथा कीमत का विवरण			

5.	अन्य आस्तियाँ जैसे– दावे की कीमत एवं ब्याज			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण :– स्वयं एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है :–

अ0क्र0	विवरण	स्वयं	पति / पत्नि का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर कृशि भूमि (1) ग्राम का नाम जहां स्थित है। (2) कुल रकबा(अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन(व्यवसायिक और आवासीय पृथक पृथक दर्शायी जाय) जिला..... तहसील ..... स्थान का नाम ..... कुल रकबा(अनुमानित)..... वर्तमान बाजार मूल्य.....			
4.	अन्य			

VI मेरी भाासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार है :–

अ. क्र.	विवरण	भाासकीय विभाग / बैंक / वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	बकाया राशि दिनांक..... .....तक
क	(1)बैंक,वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2)भाासकीय विभाग / पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख	(1)चालू वर्श में आयकर रिटर्न विवरण स्थाई लेखा नंबर भी लिखा जावें। (2)चालू वर्श के वेल्थ टैक्स–संपत्ति कर का विवरण।		

	(3)वाणिज्य कर– (4)संपत्ति कर–		

VII मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :

(अपनी स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख करें)

स्कूल का नाम/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

वर्श	प्रमाण पत्र/उपाधि	स्कूल/कॉलेज	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....

हस्ताक्षर भापथकर्ता

सत्यापन

मैं .....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....

यह सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त घोशणा की कंडिका I से VII में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....

हस्ताक्षर भापथकर्ता

प्ररूप–6

(नियम 37(1) देखिये)

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन(*)

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन (*)

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन (*)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन (*)

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

.....

मैं.....पिता/पति.....जो कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा सूचना देता/देती हूं कि अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूं।

2. तारीख.....को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में रसीद/रसीदें दी गई थी, वे इसके साथ मूल रूप में संलग्न हैं।

स्थान.....

तारीख.....

.....

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(नाम.....)

***जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।**

यह सूचना (नाम).....के द्वारा, जो कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का प्रस्तावक/अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता * है, तारीख.....को.....बजे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

मोहर.....

***जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।**

अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद

(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि ग्राम पंचायत ..... के सरपंच/*के वार्ड क्रमांक.....से पंच के निर्वाचन में/जनपद पंचायत/*जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य के लिए निर्वाचन में, विधिमान्यतः नामनिर्दिश्ट अभ्यर्थी है, की ओर से अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन(नाम) .....के द्वारा, जो कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता ** है। तारीख .....को ..... बजे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया।

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

---

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

**समुचित विषिश्टियों की प्रविष्टि करें और जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–8 क

(नियम 38(1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आंवटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

सील.....

प्ररूप–8 ख

(नियम 38(1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत.....सरपंच का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आंवटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

सील.....

प्ररूप–8 ग

(नियम 38(1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्र.....से सदस्य का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आंवटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

सील.....

प्ररूप–8 घ

(नियम 38(1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्र.....से सदस्य का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आंवटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम.....

सील.....

विभिन्न पदों के लिए निर्धारित निर्वाचन प्रतीक

(निर्वाचन प्रतीकों की सूची)

भाग–एक–जिला पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	दो पत्तियाँ	20	मोमबत्तियाँ
2	उगता सूरज	21	कढ़ाई
3	पतंग	22	सीटी
4	छाता	23	सिर पर टोकरी सहित औरत
5	गाड़ी	24	लड़का–लड़की
6	फावड़ा और बेलचा	25	नाव
7	बिजली का बल्ब	26	बेंच
8	सिलाई की मशीन	27	गैस सिलेण्डर
9	हाथ चक्की	28	गैस स्टोव
10	टेबल पंखा	29	सिगड़ी
11	स्लेट	30	संडसी
12	रेडियो	31	गैस बत्ती
13	हारमोनियम	32	गुब्बारा
14	दो तलवार और एक ढाल	33	मेज
15	पिचकारी	34	कुर्सी
16	मटका	35	मोरपंख
17	अंगूठी	36	पीपल का पत्ता
18	बल्ला	37	सूरजमुखी
19	चाबी		

भाग–दो

जनपद पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	ब्लैक बोर्ड	13	डीजल पम्प
2	बरगद का पेड़	14	प्रेशर कुकर
3	झोपड़ी	15	कप प्लेट
4	ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान	16	लेटर बाक्स
5	तराजू	17	आरी
6	फसल काटता हुआ किसान	18	कंघी
7	मशाल	19	ढोलक
8	अलमारी	20	ड्रम
9	छत का पंखा	21	भोंपू
10	टेलीविजन	22	चारपाई
11	रेल का इंजन	23	दरवाजा
12	टेलीफोन		

भाग–तीन

ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	चश्मा	13	स्टूल
2	कांच का गिलास	14	कलम दवात
3	फलों सहित नारियल का पेड़	15	कुआँ
4	हस्तचलित पम्प	16	गेहूँ की बाली
5	ताला और चाबी	17	बस
6	अनाज बरसाता हुआ किसान	18	पुल
7	सब्जियों की टोकरी	19	नल
8	घंटी	20	लट्टू
9	टेबल लैंप	21	जग
10	खंबे और ट्यूब लाईट	22	हॉकी और गेंद
11	हार	23	टोप
12	किताब	24	वायलिन

भाग–चार

ग्राम पंचायत के पंच के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	सीढ़ी	6	बिजली का स्विच
2	फावड़ा	7	मक्के का भुट्टा
3	बाल्टी	8	कैंची
4	हल	9	केतली
5	कुल्हाड़ी	10	बेलन

भाग–पांच

किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1.	बनियान	8.	वायुयान
2	कमीज	9.	रोड रोलर
3.	फ्राक	10.	सेव
4.	गुलाब का फूल	11.	मूली
5.	पोत	12.	आम
6.	स्कूटर	13.	केला
7.	जीप	14.	लेडी पर्स

प्ररूप–9

(नियम 41(1) देखिये)

निर्वाचन **अभिकर्ता** की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

.....

मैं.....पिता/पति.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमति/कुमारी.....पिता/पति..... .....को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता/करती हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

अनुमोदित

स्थान..... .....

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

के हस्ताक्षर

नाम.....

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

प्ररूप–10

(नियम 42(1) देखिये)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक....से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक....से सदस्य का निर्वाचन*

मैं.....जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/*ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम..... को मतदान केन्द्र क्रमांक.....स्थान.....में, अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान.....

तारीख.....

.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान.....

तारीख.....

.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

स्थान.....

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

प्ररूप–11

(नियम 43(1) देखिये)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

.....

मैं.....जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/*ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....को गणना के लिए नियत स्थान पर गणना के दौरान उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... **गणन** अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

गणन अभिकर्ता की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं उपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....

स्थान..... **गणन** अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख..... नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

पंचायत निर्वाचन के लिए
आदर्श आचरण संहिता
भाग–एक
उम्मीदवारों के लिए

1. सामान्य आचरणः

(1) किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों. किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हों जैसे कि–

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,

(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,

(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(viii)मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,

(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना।

(8) मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(9) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर, नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।

(10) किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(11) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए. पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए.

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

2. सभाएं एवं जुलूसः

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो भिन्न–भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास–पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(3) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों. जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो. जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

3. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबंध :–

शासन सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, पंचायतों के पदाधिकारियों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

भाग–दो
शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो; जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।

2. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन–पत्र दिया है।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परंतु किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.(1) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा का आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

(2) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को

साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

7. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसंपर्क निधि या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

8. चुनाव के दौरान समाचार–पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किये जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग–तीन

त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

नोटः– इस भाग में पंचायत से अभिप्राय, यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत से है।

1. पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तकः–

(i) पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में सवंर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए;

(iii) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए;

(iv) पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे किसी–किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या उसमें खड़ंजे बिछाना; नालियों को पक्का करना; नल जल योजना का विस्तार करना; नये हैंडपंप लगाना; नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो। प्रारंभ नहीं किया

जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

(v) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

(vii) पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिए सहायता, सिंचाई स्त्रोत या आवास के निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) के अंतर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

रायपुर — राज्य निर्वाचन आयुक्त
दिनांक ..... — छत्तीसगढ़

डमी मतपत्र का नमूना

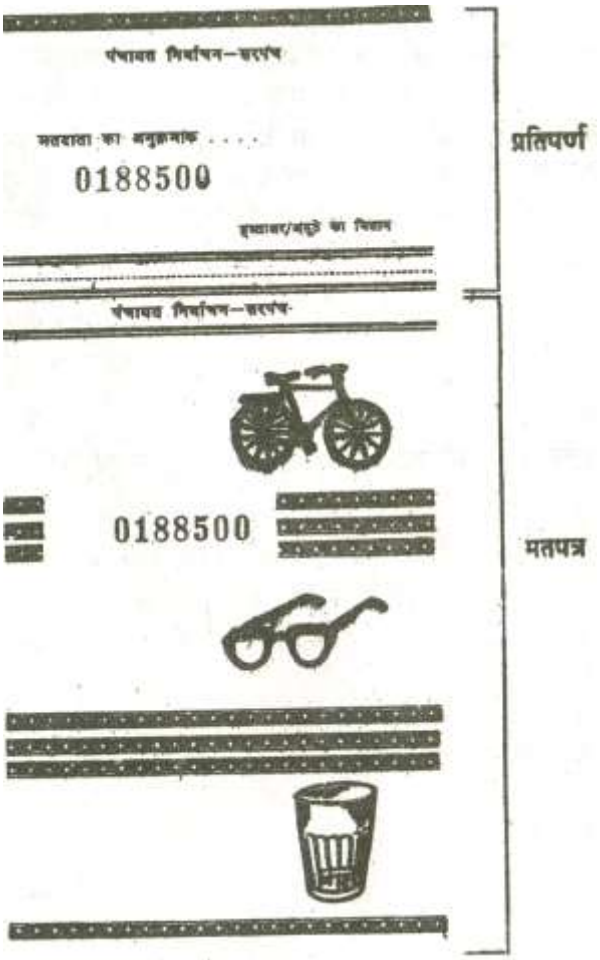

पंचायत निर्वाचन
मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था

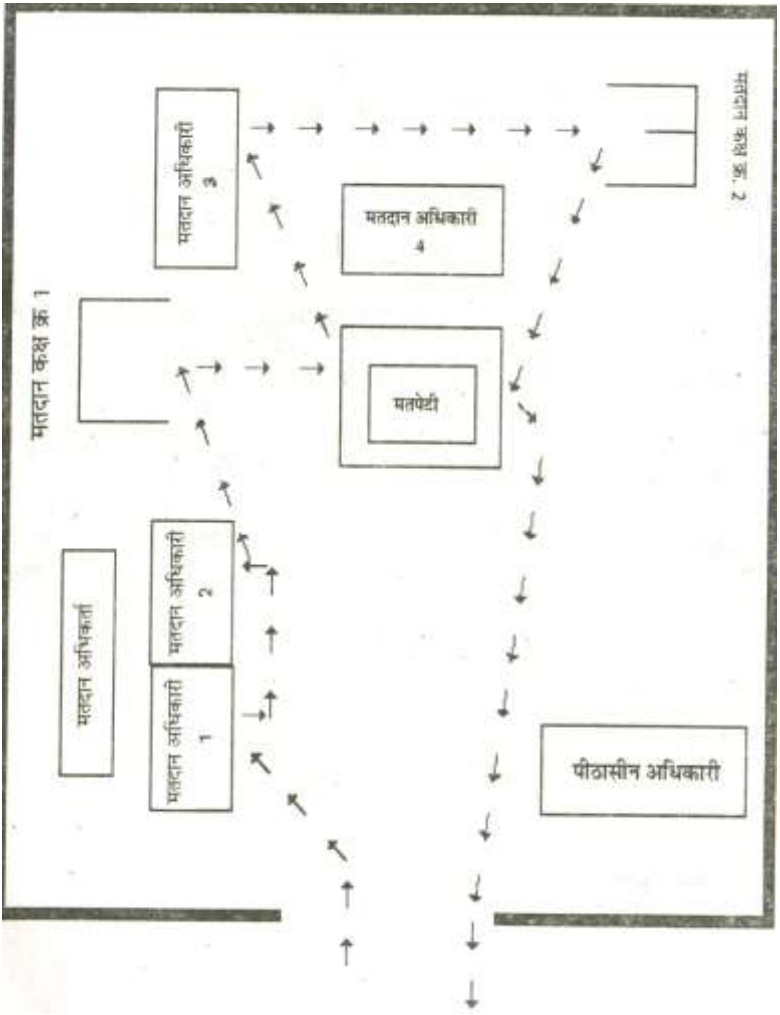

प्ररूप–15

(नियम 67 देखिये)

भाग–1 मतपत्र लेखा

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

मतदान केन्द्र का क्रमांक..... खण्ड का नाम.....

		अनुक्रमांक से	अनुक्रमांक तक	कुल संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या.	.....	.....	.....
2.	उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की संख्या.	.....	.....	.....
3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या (1–2=3)	.....	.....	.....
4.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्या	.....	.....	.....
	(क) मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या.	.....	.....	.....

(ख)	निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या.	.....	.....	.....
(ग)	रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या.	.....	.....	.....
	योग (क+ख+ग)	.....	.....	.....
5.	मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या (3–4=5)	.....	.....	.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

***जो लागू न हो उसे काट दीजिए।**

परिशिष्ट–बारह

भाग–2

प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या.....

2. इस भाग की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या और भाग–1 की मद 5 में उल्लिखित मतपत्रों की कुल संख्या में अन्तर, यदि कोई हो.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम.....

पंचायत निर्वाचन परिशिष्ट–तेरह–क

गणना पर्ची

(पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्राप्त मतों की जानकारी)

खण्ड..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

(1) ग्राम पंचायत.....वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन।

(2) ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन।

(3) जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन।

(4) जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम.....

प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्याः– अंकों में.....

शब्दों में.....

स्थान..... .....

हस्ताक्षर

तारीख..... प्राधिकृत अधिकारी/सहायक

रिटर्निंग आफिसर

पंचायत निर्वाचन परिशिष्ट–तेरह–ख

प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्र

खण्ड..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

(1) ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन।
(2) ग्राम पंचायत..... से सरपंच का निर्वाचन।
(3) जनपद पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन।
(4) जिला पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन।

प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की संख्या अंकों में.....शब्दों में.....

स्थान..... .....

हस्ताक्षर

तारीख..... प्राधिकृत अधिकारी / सहायक रिटर्निंग आफिसर

प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी के लिए आवेदन–पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन–पत्र)

प्रेषक,

नाम.....

पता.....

.....

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत.....

जिला.....

विषयः– छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 33 के अधीन जमा प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी।

महोदय,

मैं, ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत.....के वार्ड क्रमांक...../निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....के पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी था/थी।

2. मैंने उक्त निर्वाचन के लिए कोषालय/उप–कोषालय.....में/आपके कार्यालय में, रसीद क्रमांक.....के अधीन तारीख.....को रूपये.....की धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के तौर पर जमा की थी।

3. मेरा नाम–निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया था।

4. मैंने अपनी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) ठीक समय के अन्दर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।

5. मैं निर्वाचन में निर्वाचित हुआ था/हुई थी/नहीं हुआ था/हुई थी तथा मुझे इस निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों के एक छठे भाग से अधिक मतपत्र प्राप्त हुए थे।

6. मैं निवेदन करता/करती हूं कि कंडिका 2 में उल्लेखित प्रतिभूति (निक्षेप) राशि मुझे वापस कर दी जाए।

7. मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन–पत्र में दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी के अुनसार सत्य है।

स्थान..... भवदीय,

तारीख..... .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा नाम.

प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी के लिए आवेदन–पत्र
(अभ्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जाने वाला आवेदन–पत्र)

प्रेषक,

नाम.....

पता.....

.....

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत.....

जिला.....

विषयः– छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 33 के अधीन जमा प्रतिभूति (निक्षेप) राशि की वापसी।

महोदय,

स्वर्गीय श्री.....पिता/पति श्री.....
.....ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत.....
....के वार्ड क्रमांक...../निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....के पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे/थीं। तारीख.....को उनकी मृत्यु हो गई है और मैं उनका/उनकी विधिक प्रतिनिधि हूँ।

2. उन्होंने उक्त निर्वाचन के लिए कोषालय/उप–कोषालय..... में/आपके कार्यालय में, रसीद क्रमांक.....के अधीन तारीख..... को रूपये.....की धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के तौर पर जमा की थी।

3. उनका नाम–निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया था।

4. उन्होंने अपनी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) ठीक समय के अन्दर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।

5. वह निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे/नहीं हुए थे तथा उन्हें इस निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों के एक छठे भाग से अधिक मतपत्र प्राप्त हुए थे।

6. मैं निवेदन करता हूँ/करती हूँ कि कंडिका 2 में उल्लेखित प्रतिभूति (निक्षेप) राशि उसके विधिक प्रतिनिधि के नाते मुझे वापस कर दी जाए।

7. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र में दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

संलग्नः– विधिक प्रतिनिधि होने का प्रमाण
स्वरूप आवश्यक दस्तावेज।

स्थान..... भवदीय,

तारीख..... .....
आवेदक के हस्ताक्षर तथा नाम

प्ररूप – 25

निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

(1) ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक.....से पंच का निर्वाचन*
(2) ग्राम पंचायत..... से सरपंच का निर्वाचन*
(3) जनपद पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*
(4) जिला पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य का निर्वाचन*

मैं रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 81 के अन्तर्गत यह घोशित कर दिया है कि –

श्री/कुमारी/श्रीमती .....पिता/पति का नाम ....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी थे/थीं, सम्यक् रूप से निर्वाचन हो गए/गई हैं और इसके प्रमाण स्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

स्थान.....
तारीख.....

.....
हस्ताक्षर
(नाम) .....
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।